फर्द अहकाम

रामप्रकाश बनाम आरती

नाम न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी कामां

केस नम्बर – 67/2024 टाका

क्रम	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा किस तरह से
	24/7/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप०। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 25/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कामां
	25/7/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 28/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कामां
	28/7/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप०। वकील वादी ने लिखित बहस पेश की। वकील प्रतिवादी को लिखित बहस पेश करने की हिदायत दी गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 7/8/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कामां
	7/8/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप०। वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस एवं न्यायिक दृष्टांत पेश किये। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14/8/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कामां
	14/8/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप०। आदेश सुनाया गया। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कामां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 663/1999, 30/2008, 292/2016 पुराने, 67/2024 नये
निर्णय दिनांकः– 14.08.2025
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. रामसहाय पारीक पुत्र दामोदर प्रसाद जी पारीक निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. भारतेन्दु पारीक पुत्र हरसहाय पारीक निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हॉल मुकाम म0न0 380 टैम्पू स्टेण्ड चौराहा के पास बरकतनगर जयपुर टोंक फाटक जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री बद्रीनारायण शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री कृष्ण कुमार लखेरा अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 14.08.2025

वादपत्र

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति वाके मौजा फागी में स्थित है जिसमे वादी व प्रतिवादी का समान बराबर का हिस्सा है व बराबर हिस्से अनुसार काबिज है मगर राजस्व रिकार्ड मे खतौनी सख्या 541 खसरा नम्बर 2642/2 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी दोनों का 1/6 हिस्सा दर्ज है मगर खतौनी सख्या 666 के खसरा नम्बर **1828, 1829, 1875/2, 2073, 2076, 2077, 2099, 2100, 2102, 2103, 2106, 2120/1, 3699, 3709, 3710, 3719** कित्ता 17 कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा मे केवल प्रतिवादी का नाम दर्ज है जब कि वादी व प्रतिवादी दोनों का बराबर हिस्सा है व बराबर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी के पिता हरसहाय परिवार मे बडा था अतः दामोदरजी की मृत्यु के बाद पर्चा खातेदारी हरसहाय व वादी रामसहाय दोनों के नाम आना चाहिये था मगर चुकि हरसहाय बडा था उसी के नाम चलता रहा और हरसहाय के मरने के बाद प्रतिवादी के नाम अकेले के दर्ज हो गया चूंकि कब्जा काश्त वादी व प्रतिवादी का समान चला आ रहा है कोई विवाद नही था। अतः खातेदारी दुरुस्त नही कराई मगर भविष्य में गलत इन्द्राज रहने व दुरुस्त नही होने से कभी भी विवाद खड़ा

उपखण्ड अधिकारी फागी

हो सकता है। यह आवश्यक हुआ कि माली कागजात मे दुरुस्ती करादी जावे अतः दावा घोषणा व तकासमा का पेश करना आवश्यक हुआ। वादी व प्रतिवादी के दरमियान आपसी समझोते के आधार पर दिनांक 25.12.1995 को तकासमा भी हो चुका है मगर उनका इन्द्राज मालीकागजात में होकर खातेदारी वमुजिब हक खातेदारी व कब्जा काश्त होना आवश्यक है वमुजिब कब्जा काश्त व बाहमी समझोता दिनांक 24.12.1995 के आधार पर ख०न० 2077, 1875/2, 1826, 1828, 3709, 2099, 2100, 2120/2, 3796 कुल किता 06 कुल रकवा 17 बीघा 10 बिस्वा, वादी के हिस्से मे है उसकी खातेदारी प्रतिवादी के नाम से हटाई जाकर वादी के नाम दर्ज की जावे व शेष नम्बर खसरा नम्बर 2073, 2076, 2102, 2103, 2106, 2120/1, 3699, 3710 कुल किता 08 कुल रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी के नाम बदस्तुर कायम रखी जावे। वादी को विनाय मुखासमत खिलाफ प्रतिवादी गलत खातेदारी इन्द्राज दर्ज हो जाने से बदुरुस्ती हेतु समझोता पत्र दिनांक 24.12.95 के अनुसार विवादित आराजी का विभाजन तहसीलदार जी फागी द्वारा इन्कार कर देने से वमुकाम फागी पैदा हआ और दावा घोषणा व विभाजन का पेश करना आवश्यक हुआ। विवादित आराजी फागी तहसील फागी में स्थित है व पक्षकारान भी फागी के है अतः न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

जबाब दावा

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार लखेरा जरिये असालतन वकालतनामा उपस्थित आये। प्रतिवादी सं0 1 की और से जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जवाब के तथ्यो मे बताया की प्रतिवादी के पिता एवं वादी का भाई होना स्वीकार है। भाई होना इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि निम्न वंश वृक्ष के अनुसार वादी रामचन्द्रजी के पुत्र कल्याण जी उर्फ कलजी के गोद चला गया था, गोद पुत्र होने से कल्याण जी की सम्पति का मालिक बना। अतः दामोदरजी की सम्पति में वादी का कोई अधिकार नही रहा। उक्त भूमि में न तो वादी का हिस्सा है और न ही उसने कभी उक्त भूमि में काश्त हीं किया है। वादी चूंकि कल्याणजी के गोद चला गया था, इसलिए उनकी सम्पति व खातेदारी की भूमि दत्तक पुत्र होने के नाते वादी को प्राप्त हुई। इस तथ्य को वादी ने जानबूझकर छिपाया है। उक्त भूमि खसरा नंबर 1817, 1818, 1819, 1820, 1821,1822, 1826, 1827, 1832, 1833, 3706, 3707, 3713 फागी में ही है। अतः कन नंबर दो में वर्णित भूमि में वादी का किसी प्रकार का हिस्सा नही है, न ही मौके पर कब्जा है। दामोदरजी की मृत्यु सन् 1941 के

उपखण्ड अधिकारी फागी

लगभग हो गई थी। उस समय वादी की उम्र 4 एवं प्रतिवादी के पिताजी की उम्र 8 वर्ष थी। उस समय कल्याण जी के कोई संतान नहीं होने से कल्याण जी ने दामोदर जी से उनके जीवनकाल में ही वादी को गोद ले लिया था। इस तरह वादी दामोदर जी से कल्याण जी के गोद चला गया। उक्त क्षेत्र का बन्दोबस्त होने पर उक्त भूमि की खातेदारी का पर्चा प्रतिवादी के पिता के नाम सही रूप से जारी हुआ। वादी का यह कथन भी असत्य है कि भूमि पर उसका कब्जा था, और कोई विवाद न होने से कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि सत्य यह है कि कल्याण जी के गोद चले जाने के कारण उसने स्वयं का अधिकार न होने से कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसी अवस्था में वादी को वाद का हेतू उत्पन्न नहीं होता, एवं वाद घोषणा, तकासमा कराने का भी अधिकार नहीं होता। प्रतिवादी इस बात से उस समय अनभिज्ञ था कि वादी कल्याण जी के दत्तक हो गया है तथा उसका दामोदरजी की भूमि में कोई हिस्सा नहीं है एवं दामोदरजी की सारी भूमि की खातेदारी अकेले प्रतिवादी के पिता हरसहायजी के नाम है। वादी ने प्रतिवादी में यह कहकर हस्ताक्षर करवाये की भूमि हरसहाय एवं रामसहाय दोनों के नाम दर्ज है और प्रतिवादी इन बातों से अनभिज्ञ वादी के कथन पर विश्वास कर हस्ताक्षर कर दिये अब समस्त कागजात भूमि की नकले लेने पर प्रतिवादी को यह ज्ञात हो गया कि वादी ने जानबूकर प्रतिवादी की अनभिगता व भोलेपन का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिये, जिसे प्रतिवादी अस्वीकार करता है। अतः वादी उक्त भूमि के संबंध में वाद लाने का अधिकारी नहीं है। दिनांक 24–12–95 के समझौते के आधार पर वादी का न तो कब्जा है न खातेदारी का अधिकारी है। जब वादी कल्याण जी के गोद जाकर उनकी संपत्ति पर काबिज है तो दिनांक 24–12–95 के समझौते पर प्रतिवादी से धोखे से हस्ताक्षर पाया करने के अनुसार भी वादी भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। वादी कल्याण जी के गोद जा चुका था। जो प्रस्तुत जमाबन्दी व नकल नामान्तकरण से प्रमाणित है। अतः दामोदरजी के खाते की जमीन मे दामोदरजी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी के स्वर्गीय पिता के नाम अंकित खातेदारी के विरूद्ध वादी को किसी प्रकार का वाद हेतू उत्पन्न नहीं होता। अतः वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न न होने से उस का दावा सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी ने अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन मे बताया कि वादी कल्याण जी के गोद व उनकी खातेदारी की भूमि की खातेदारी गोद पुत्र होने से प्राप्त कर चुका है। जो प्रस्तुत जमाबंदी व नामान्तकरण से प्रमाणित है। अतः दामोदरजी की मृत्यु के बाद भूमि की खातेदारी मुझ प्रतिवादी के पिता स्व० हरसहायजी के नाम अंकित हुई। अतः वादी को दामोदरजी की खातेदारी की भूमि में कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं

उपखण्ड अधिकारी

है। वादी अत्यन्त चतुर व्यक्ति है, वादी के कल्याण जी के गोद जाने के तथ्य मुझ प्रतिवादी की जानकारी में नहीं होने से प्रतिवादी की अज्ञानता तथा प्रतिवादी का वादी के प्रति सम्मान के भाव का अनुचित लाभ उठाते हुये समझौता पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर करवा लिये कि भूमि दोनों भाईयों के नाम दर्ज है। उक्त समझौते को प्रतिवादी अस्वीकार करता है। क्योंकि दामोदरजी की खातेदारी की भूमि में वादी को कोई वैधानिक अधिकार नहीं होने से प्रतिवादी के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होने के बावजूद भी वादी को वैधानिक रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी को कल्याण जी की भूमि की खातेदारी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते क्योंकि वादी के कल्याणजी उर्फ कलजी के दत्तक पुत्र होने से वही उस भूमि को प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः उक्त भूमि के संबंध में वाद ही चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी की भूमि पर वादी का कब्जा नही है, अतः उसका वाद घोषणा व निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। वादी के कल्याण जी के गोद चले जाने के कारण दामोदरजी की खातेदारी की भूमि में उसका कोई अधिकार नही रहता अतः वादी को उक्त खाते की भूमि के संबंध कोई वाद हेतू उत्पन्न नही होता।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

तनकीयात

तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार है।:–

1. आया वादी खतौनी संख्या 699 पैतृक आराजी ग्राम फागी के 1828, 1829, 1875/2, 2073, 2076, 2077, 2099, 2100, 2103, 2106, 2120/2, 3699, 3709, 3710, 3719 किता 17 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा जो प्रतिवादी का नाम दर्ज है उसमें 1/2 का हकदार वादी है वादी 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी तकासमा समान रूप से कराने के अधिकारी है 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त है व खातेदारी की घोषणा सारी अपने हक में पुश्तैनी आराजीयात होने से कराने का अधिकारी है।

वादी

2. आया विवादग्रस्त आराजी अर्जी दावा पैरा संख्या 2 व 5 में वर्णित आराजी का तकासमा आपसी समझौते के व जो दिनांक 24.12.1995 के अनुसार अर्जी दावा पैरा संख्या 5 के अनुसार तकासमा किया जाकर वादी के हिस्से की फेटंबदी की आज्ञा पारित कराने का वादी अधिकारी है व मौजूदा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

वादी

उपखण्ड अधिकारी फागी

3. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हिस्से में सम्पूर्ण 2077, 1875 / 2, 1829, 1828, 3709, 2099, 2100, 2120 / 2, 3719 कुल किता 9 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा में समझौता दिनांक 24.02.1995 अनुसार व वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

वादी

4. आया दिनांक 24.12.1995 के समझौता पत्र प्रतिवादी संख्या 1 से वादी ने धोखे से हस्ताक्षर करने के अनुसार भी वादी भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादी सं. 1

5. आया वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 बिना कब्जा काश्त के आधार पर पेश किया है जो वादी का वाद बिना कब्जे की दादरसी के चलने योग्य नही है।

प्रतिवादी सं. 1

6. आया वादी रामचन्द्र जी के पुत्र कल्याण जी के गोद चला गया था गोद पुत्र होने से कल्याण जी की सम्पत्ति का मालिक बना दामोदर जी की सम्पत्ति में वादी का कोई अधिकार नही है।

प्रतिवादी सं0 1

7. आया समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 में तहसीलदार / लैण्डहोल्डर को पक्षकार नही बनाया व पंजीबद्व नही है। इसलिये समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 कानूनन शून्य है। जिसके आधार पर वादी कोई अधिकार प्राप्त नही कर सकता।

प्रतिवादी सं. 1

तनकीयात कायम की जाकर वाद ऐक्सप्लेन की गई।

साक्ष्य वादी

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजात साक्ष्य सबुत प्रस्तुत किये गये।

दस्तावेज	सम्वत / विवरण	प्रदर्श
जमाबन्दी	सम्वत 2048 — 2051 वाके ग्राम फागी नन्दा खाता सं0 174	प्रदर्श— पी01
समझौता पत्र	समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995	प्रदर्श— पी02
दान पत्र	दान पत्र दिनांक 13.09.1963	प्रदर्श— पी03
प्रमाण पत्र	राज0 विश्व विद्यालय का प्रमाण पत्र नं0 1847 दिनांक 12.06.1956	प्रदर्श—पी04

उपखण्ड अधिकारी
फागी

सिंचाई विभाग पत्र	सिंचाई विभाग का आज्ञा पत्र दिनांक 03. 11.1998	प्रदर्श–05
पटवारी रिपोर्ट	कब्जा काश्त पटवारी रिपोर्ट दिनांक 29. 08.2007	प्रदर्श–06
लिखावट	सीर पर काश्त की लिखावट दिनांक 02. 04.1986	प्रदर्श–07
लिखावट	सीर पर काश्त की लिखावट दिनांक 12. 06.1997	प्रदर्श–08
लिखावट	सीर पर काश्त की लिखावट दिनांक 28. 07.2007	प्रदर्श–09
राशन कार्ड	कल्याण जी का राशनकार्ड दिनांक 11.09. 1995	प्रदर्श – 10
जमाबन्दी	जमाबन्दी सम्वत 1994 दामोदर जी के कब्जे काश्त व खातेदारी	प्रदर्श–11

प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
श्री रामसहाय पुत्र दामोदर	पारीक	फागी तह० फागी जिला जयपुर।	पी०डब्लू–1
नाथूलाल पुत्र कानाराम	खटाणा गुर्जर	फागी तहसील फागी जिला जयपुर	पी०डब्लू –2
नारायण पुत्र घासी	रैगर	फागी तहसील फागी जिला जयपुर	पी०डब्लू–3
घासीलाल पुत्र गोरधन गुर्जर	गुर्जर	फागी तहसील फागी जिला जयपुर।	पी०डब्लू–4
सीताराम पारीक पुत्र पुरूषोतम पारीक	पारीक	फागी तहसील फागी जिला जयपुर।	पी०डब्लू – 5

उक्त गवाहान ने शपथ पत्र पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। उक्त गवाहान व वादी से बयान लेखबद्ध किये गये। गवाहान नारायण ने अपने बयान मे बताया कि मै विवादित आराजी को बांटे पर काश्त कर बाटा रामसहाय जी को देता था। फिर बांटे का 1/2 करके आधा जयपुर लेकर जाते थे। दोनो भाई बुवाई व बैचान

उपखण्ड अधिकारी
फागी

के समय विवादित जमीन पर आते थे। मेरे सामने दोनो भाईयों के बीच राजीनामा हुआ था। लिखा पढी हुई थी।, गवाह सीताराम पारीक पुत्र पुरूषोतम पारीक ने अपने बयान मे बताया कि दामोदर जी सम्पति मे हरसहाय व रामसहाय जी दोनो भाईयों का हक है। यह कहना सही है की हरसहाय व रामसहाय जी की जो सम्पति हमारे पास है यह पैतृक सम्पति है।

साक्ष्य प्रतिवादी

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी ने अपने तथ्यो के समर्थन मे निम्न साक्ष्य सबुत प्रस्तुत किये।

दस्तावेज	सम्वत / विवरण	प्रदर्श
नामान्तकरण	नामान्तकरण सं0 328	प्रदर्श ए–2
नामान्तकरण	नामान्तकरण सं0 327	प्रदर्श– ए 3
मुकदमा	ए0डी0एम 0 के वाद की प्रति	प्रदर्श– ए 5
शपथ पत्र	रामसहाय वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र	प्रदर्श–ए 6
निर्णय प्रति	न्यायालय अति0जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 09.09.60 की प्रति	प्रदर्श–ए 7
आदेशिका	ए0डी0एम0 द्वितीय की आदेशिका की प्रति	प्रदर्श– ए 8
निर्णय की प्रति	ए0डी0एम0 द्वितीय के निर्णय की प्रति	प्रदर्श– ए 9
शपथ पत्र	न्यायालय अति0 जिला कलक्टर मे प्रस्तुत शपथ पत्र वादी	प्रदर्श– ए 10
निर्णय की प्रति	न्यायालय अति0 जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय प्रति दिनांक 09.01.1964	प्रदर्श– ए 11
जमाबन्दी	जमाबन्दी सम्वत 2011 – 2030 कम सं0 282	प्रदर्श– ए 12

प्रकरण मे प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य हेतु निम्न गवाह प्रस्तुत किये गये।

नाम	जाति	निवासी	गवाह
श्री भारतेन्द्र पुत्र पुत्र हरसहाय	पारीक	फागी तह0 फागी जिला जयपुर हॉल नि0 म0न0 380 टैम्पू स्टेण्ड चौराहा के पास बरकत नगर जयपुर टोंक फाटक	डी0डब्लू–1
श्रवणलाल पुत्र जीवालाल	जैन	फागी तहसील फागी जिला जयपुर	डी0डब्लू –2

उपखण्ड अधिकारी फागी

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादी ने स्वंय का, श्रवणलाल पुत्र जीवालाल जाति जैन निवासी फागी तहसील फागी के शपथ पत्र पेश किये जो शमिल मिसल किये गये। उक्त गवाहान व प्रतिवादी सं0 1 से बयान लेखबद्व कर शामिल पत्रावली किये गये।

बहस वादी लिखित

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये लिखित बहस पेश की जो शमिल मिसल की गई तथा अपनी लिखित बहस मे बताया की वादी रामसहाय ने एक वाद घोषणा, निषेधाज्ञा व विभाजन का प्रतिवादी भारतेन्दु व तहसीलदार जी को पक्षकार बनाते हुये इस आशय का किया कि कस्बा फागी में स्थित खतौनी संख्या 699 में दर्ज खसरा नम्बर 1828, 1829, 1875/2, 2073, 2076, 2077, 2099, 2100, 2102, 2103, 2106, 2120/2, 3699, 3709, 3710, 3719 कुल किता 17 कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा हेतु दावा दायर किया और वाद में यह स्पष्ट किया कि वादी व प्रतिवादी एक ही वंश के हैं और दामोदर जी के उत्तराधिकारी है वादी ने अपने वाद में यह स्पष्ट किया कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त परिवार की भूमि में वादी का व प्रतिवादी का 1/2 –1/2 हिस्सा है खतौनी संख्या 541 में दर्ज खसरा नम्बर 2642 रकबा 3 बीघा 7 विस्वा में तो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरसहाय जी का नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा में दर्ज है। लेकिन खतौनी संख्या 699 में दर्ज खसरा नम्बर 1828 1829 1875/2, 2073, 2076 2077, 2099, 2100, 2102, 2103, 2106, 2120/2, 3699, 3709, 3710, 3719 कुल किता 17 कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा में हरसहाय जी का नाम गलत रूप से दर्ज हो गया। क्योंकि हरसहाय जी परिवार में बड़े थे और रामसहाय छोटा था। इस कारण से बरवक्त पर्चा म सेटलमेन्ट हरसहाय जी का नाम दर्ज हो गया। जबकि काश्त दोनों भाई हरसहाय व रामसहाय बहिस्सा बराबर 1/2 – 1/2 करते रहे। वादी ने अपने वाद में यह भी स्पष्ट किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पारवारिक विवाद होने पर एक आपसी समझौता भी दिनांक 24.12.1995 को किया गया जिसमें भूमि का विभाजन कर उस अनुसार काश्त करना व मकानों का बंटवारा करना व उस अनुसार तकासमा कराना जाहिर किया तथा इस समझौते को न्यायालय में भी मान्यता दी जायेगी। उस अनुसार वादी व प्रतिवादी मौके पर काबिज है लेकिन खाता संख्या 699 में दर्ज भूमि में खसरा नम्बरान में अकेले हरसहाय जी का नाम आने के कारण और हरसहाय जी की मृत्यु पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण और 24.12.1995 को जो समझौता हुआ था उससे भी मुकरने के कारण वादी को यह वाद दायर करना पड़ा और खाता संख्या 699 में दर्ज भूमियों में 1/2 की

उपखण्ड अधिकारी
फागी

खातेदारी दर्ज कराते हुये तकासमा कराना एवं प्रतिवादी को प्रतिबंधित करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी ने उक्त वाद का जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये सजरे को स्वीकार किया लेकिन सजरे को नये सिरे से दर्शाते हुये वादी रामसहाय को कल्याण पुत्र रामचन्द्र के गोद जाना बतलाया। इस कारण से वादी का कोई संबंध खाता संख्या 699 की भूमि में नहीं रहा है। प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर में यह भी दर्ज किया है कि दामोदर जी की मृत्यु सन् 1941 में हो गई, उस समय वादी 4 वर्ष का था और प्रतिवादी 8 वर्ष का था और दामोदर जी ने अपने जीवनकाल में ही वादी को कल्याण जी के गोद दे दिया था। चूंकि प्रतिवादी इस बात से अनभिज्ञ था कि वादी कलयाण जी का दत्तक हो गया है और दामोदर जी की भूमि में कोई हिस्सा नहीं है बल्कि दामोदर जी की भूमि का मालिक अकेले हरसहाय जी के नाम है। वादी ने प्रतिवादी को हरसहाय व रामसहाय के नाम भूमि दर्ज होना बताते हुये जानबूझकर राजीनामे पर दस्तखत करा लिये। उक्त समझौते दिनांक 24.12.1995 के अनुसार वादी का कोई कब्जा नहीं है और 24.12.1995 के समझौते पर प्रतिवादी के धोखे से हस्ताक्षर लिये है जिस कारण से वादी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावे का जवाबुल जवाब देते हुये स्पष्ट किया कि कल्याण जी की खातेदारी वादी के नाम नजदीकी खून का रिश्ता होने के कारण लगी है वादी कल्याण जी के गोद नहीं गया है और इसलिए जो समझौता 24.12.1995 को हुआ है उसमें कल्याण जी से जो खाता रामसहाय जी के नाम आया है वह भूमि और जो हरसहाय जी को जो भूमि विरासत में दामोदर जी से मिली है यह भूमि भी जो वर्तमान में प्रतिवादी के नाम है उन सभी भूमियों को समझौता 24.12.1995 को वादी व प्रतिवादी ने अपने होश हवास में किया है और मौजूद गवाहों के समक्ष किया है तथा उक्त समझौते को प्रतिवादी ने कभी भी किसी भी न्यायालय में धोखे से प्राप्त करने हेतु चुनौती नहीं दी है, केवल जवाब दावे में लिखने से कोई धोखा नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद व प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

- आया वादी खतौनी संख्या 699 पैतृक आराजी ग्राम फागी के 1828, 1829, 1875/2, 2073, 2076, 2077, 2099, 2100, 2103, 2106, 2120/2, 3699, 3709, 3710, 3719 किता 17 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा जो प्रतिवादी का नाम दर्ज है उसमें 1/2 का हकदार वादी है वादी 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी तकासमा समान रूप से कराने के अधिकारी है, 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त है व खातेदारी की घोषणा सारी अपने हक में पुश्तैनी आराजीयात होने से कराने का अधिकारी है।

............वादी

उपखण्ड अधिकारी
फागी

- आया विवादग्रस्त आराजी अर्जी दावा पैरा संख्या 2 व 5 में वर्णित आराजी का तकारामा आपसी समझौते के व जो दिनांक 24.12.1995 के अनुसार अर्जी दावा पैरा संख्या 5 के अनुसार तकारामा किया जाकर वादी के हिस्से की फाटबंदी की आज्ञा पारित कराने का वादी अधिकारी है व मौजूदा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

........वादी

- आया वादी प्रविादी संख्या । को अपने हिस्से में सम्पूर्ण 2077, 1875 / 2, 1829, 1828, 3709, 2099, 2100, 2120 / 2, 3719 कुल किता 9 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा में समझौता "दिनांक 24.02.1995 अनुसार व वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

.........वादी

- आया दिनांक 24.12.1995 के समझौता पत्र प्रतिवादी संख्या । से वादी ने धोखे से हस्ताक्षर करने के अनुसार भी वादी भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

. प्रतिवादी सं. 1

- आया वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या । बिना कब्जा काश्त के आधार पर पेश किया है जो वादी का वाद बिना कब्जे की दादरसी के चलने योग्य नहीं है

प्रतिवादी सं. 1

- आया वादी रामचन्द्र जी के पुत्र कल्याण जी के गोद चला गया था गोद पुत्र होने से कल्याण जी की सम्पत्ति का शालिक बना दामोदर जी की सम्पत्ति में वादी का कोई अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी सं0 1

तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिए वादी ने

(अ) सेटलमेन्ट का पर्चा नं. 282 / 01, 503 जो दिनांक 16.05.1955 को जारी हुआ है जिसमें हरसहाय व रामसहाय पुत्रान दामोदर दर्ज है ।

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ

(ब) जो [illegible] संवत 2026 व 2030 [illegible] 1964 [illegible] दामोदर के नाम से जमा [illegible] है।

(स) कल्याण जी [illegible] जो 1960 में जारी हुआ है। जिसमें [illegible] कल्याण जी का नाम दर्ज है एवं [illegible] संख्या 51 दर्ज है।

(द) हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो सन 1956 में हरसहाय जी के पर्दा आने के बाद सन 1956 का है जिसमें रामसहाय पुत्र दामोदर दर्ज है।

प्रतिवादी ने जवाब दावे में यह स्वीकार किया है कि दामोदर जी की मृत्यु सन 1940 – 41 के आसपास हुई थी और हरसहाय जी दामोदर जी के बड़े पुत्र एवं रामसहाय जी छोटे पुत्र थे। वादी के अनुसार कुछ कारण खाता विभाग के अनुसार बड़े भाई हरसहाय जी के नाम हो गया जबकि 1/2 हिस्सा छोटे पुत्र रामसहाय का निहित है। स्वयं हरसहाय जी ने भी 1964 तक रामसहाय जी को कल्याण जी के गोद जाना नहीं माना है। इससे स्पष्ट है कि सन 1964 तक रामसहाय जी कल्याण जी के गोद नहीं गए थे। कल्याण जी की जो जमीन राम सहाय जी के नाम आई है वह नामान्तकरण संख्या 327 एवं 328 के अनुसार आई है जो सन 1961 में खुला है और इसमें कहीं पर भी रामसहाय जी का 1955 में हरसहाय जी के पर्दा आने से पूर्व गोद जाना साबित नहीं होता है, पर्दा आने के बाद 1956 में हाई स्कूल सर्टिफिकेट में भी रामसहाय पुत्र दामोदर दर्ज है सर्वप्रथम हरसहाय जी के नाम पर्दा सन 1955 में आया और सन 1955 से पूर्व रामसहाय जी कल्याण जी के गोद गये हो। ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी की तरफ से पेश नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि 1955 में हरसहाय जी के नाम पर्दा आने के दिन रामसहाय जी व हरसहाय जी दोनों दामोदर जी के ही पुत्र थे। वादी ने अपने बयानों में भी इस तथ्य को साबित किया है। रामसहाय जी व हरसहाय जी दोनों दामोदर जी के पुत्र है और हरसहाय जी बड़े भाई होने के कारण कर्ता थे। इस कारण बड़े भाई के नाम पर्चा लगा था इसलिए पर्चे में ने भी अपने सम्पूर्ण भाईयों का हिस्सा माना जायेगा। राजस्व मण्डल निर्णय 1983 आर. आर.डी के पेज संख्या 310 पर यह स्पष्ट उल्लेख किया है।

(a) Raj- Tenancy Act- Secs- 53] 88 & 2248 Suit for partition and declaration against deft- (brother), decreed by lower courts holding that suit land belonged to 'T' father of parties and was ancestral in which ptff had a half

उपखण्ड अधिकारी
कामां

share and fact the deft- Got land reorded in his own name could not effect plaintiff's title and long possession of deft. was of no avail – Propriety.

(c) Settlement Parcha - In name of eldest male member of H.U.F. along – Hold, not adversely affected rights of other brother - Jointness between brothers, presumed - Karta represents whole family - Filing of suit for declaration or partition by younger brother, not necessary until his rights, challenged.

प्रतिवादी ने जो नामान्तकरण संख्या 327 और 328 प्रस्तुत किया है उससे भी स्पष्ट है कि कल्याण पुत्र रामचन्द्र का उत्तराधिकारी रामसहाय पुत्र दामोदर व्यास है इसलिए नामान्तकरण संख्या 327 व 328 गोद पुत्र के आधार पर न खुलकर उत्तराधिकारी के आधार पर खुला है जो स्वयं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज है और इससे रामसहाय जी का कल्याण के गोद जाना कहीं साबित नहीं होता है और यदि वे उत्तराधिकारी भी बने है तो सन् 1961 में बने है और प्रतिवादी ने जो शपथ पत्र प्रतिवादी द्वारा रामसहाय पुत्र कल्याण का पेश किया है वह सन् 1963 का पेश किया है जो अपील प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक था। चूंकि रामसहाय जी, कल्याण जी के उत्तराधिकारी बने है इस कारण से रामसहाय पुत्र कल्याण दर्ज किया है इससे यह साबित नहीं होता है कि यह कल्याण के दत्तक पुत्र हो और कल्याण के गोद गये हो। सलग्न लिखित 8 (a) व 8(b) प्रतिवादी ने अपने वादोत्तर में हरसहाय के नाम जो जमीन आई है व अकेले हरसहाय की जोने का कोई प्रमाण नहीं दिया है बल्कि दामोदर जी से विरासत में प्राप्त करना माना है। वादी का अधिकार केवल कल्याण के गोद जाने से इंकार किया है और इस कारण से दामोदर जी की जायदाद में वादी का अधिकार नहीं है इस तथा वादी के न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 7 जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत कर दस्तावेज पेश किये थे। उनमें एक दस्तावेज 10.8.1955 का कल्याण जी का ग्राम पंचायत में किया दिया हुआ था। एक स्टाम्प पर लिखकर ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरे भाई, उत्तराधिकारी ही रहा है. उन्होंने स्टाम्प की प्रमाणित प्रतिलिपी ग्राम प0 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है। जिसे न्यायालय ने भी न्यायालय ने रिकोर्ड पर ले लिया है और न्यायालय का रिकोर्ड पर लेने का आदेश राजस्व मण्डल तक बहाल रहा है। इससे स्पष्ट है कि कल्याण जी 1955 तक जिन्दा थे उन्होंने एवं 10.8.1955 को अपने कोई वारिस नहीं होना माना हो एवं समझौता रामनारायण पुत्र हरनाथ, एवं हरसहाय, रामसहाय पुत्रान दामोदर दिनांक 26/6/1952 में बतौर गवाह हस्ताक्षर किये है। जिससे यह सिद्ध होता है कि रामसहाय जी, कल्याण जी के 1941 में गोद नहीं गये

उपखण्ड अधिकारी कामां

जैसा की भारतेन्दु (प्रतिवादी) ने रामसहाय जी को गोद जाना बताया हो. प्रतिवादीगण ने रामसहाय जी के गोद जाने का कोई ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर ही रामसहाय जी को कल्याण जी के गोद जाना सर्वथा गलत है और कोई अन्य प्रमाण भी नहीं हो। इसलिये स्पष्ट है कि रामसहाय भी, कल्याण जी के गोद पुत्र नहीं है। जिस दिन दामोदर जी मृत्यु हुई उस दिन तक दामोदर जी का कोई पुत्र गोद नही गया। रामसहाय जी, हरसहाय जी, दामोदर जी के दो ही पुत्र थे, प्रतिवादी के पिता हरसहाय जी बड़े बेटे थे एवं कर्त्ता खानदान थे। हमसे दामोदर के नाम नामांतकरण खुला में सर्वथा गलत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार रामसहाय जी दामोदर जी की मृत्यु के तुरंत बाद उनके उत्तराधिकारी हो गये। ऐसा हिन्दू उत्तराधिकार के Sec 8 में भी स्पष्ट होता है। नामांतरण सं0 327 व 328, सन् 1961 मे खुला है। इसमें भी रामसहाय जी के गोद पुत्र जाने का कोई प्रमाण नहीं है। केवल उत्तराधिकार आधार पर रामसहाय पुत्र दामोदर के नाम नामांतरण खुला है। ऐसा कोई नियम नहीं है की किसी व्यक्ति को पहले से प्राप्त पैतृक भूमि बेदखल किया जा सके। सन् 1940 – 1941 मे दामोदर जी की मृत्यु हो गयी थी। तभी से रामसहाय जी का जन्म सिद्ध अधिकार पैत्रक सम्पति पर हो गया था। कल्याण जी की मृत्यु बाद में हुई थी। कारण से प्रतिवादी ने दामोदर जी की जायदाद में वादी का अधिकारी नहीं माना है जबकि शहादत से स्वयं प्रतिवादी के गवाह श्रवण ने भी अपने बयानों ने रामसहाय के कल्याण जी की पगड़ी बंधना माना है जबकि कोई गोदनाम न लिखा जाना माना है और पगड़ी से कोई गोद साबित नहीं होता है और यह न्याय का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि पगड़ी से कोई गोद साबित नहीं होता है। चूंकि हरसहाय जी को भूमि दामोदर जी से दिरासत में मिली है और दामोदर जी के हरसहाय व रामसहाय दोनों जाईन्दा पुत्र है, इस कारण से वादी खतौनी संख्या 699 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कराने को प्रमाणित किया है और तनकी संख्या 2 को वादी ने साबित किया है। उनकी संख्या 2 को साबित करने का भार भी वादी पर है जो समझौता पत्र 24.12.1995 को पेश हुआ है उसको प्रतिवादी ने कहीं भी इंकार नहीं किया है केवल यह कहा कि उसे धोखा देकर दस्तखत कराये है। सन् 1995 में जो राजीनामा प्रतिवादी संख्या 1 ने बतौर द्वितीयपक्ष तस्दीक किया है उस समय उसकी आयु 37 – 38 वर्ष थी और मौजूदा गवाहों के सामने उसने दस्तखत किये हैं तथा उक्त समझौते में सभी जमीने जो दामोदर जी से प्राप्त हुई हैं एवं रामसहाय को कल्याण जी से प्राप्त हुई है दोनों ही भूमियों का आपस में विभाजन यादी व प्रतिवादी ने किया है । प्रतिवादी ने यह तथ्य दावे में आ जाने के पश्चात भी धोखे से राजीनामा तस्दीक कराने की बात तो अपने जवाय दावे में कह दी लेकिन उसको निरस्त कराने

उपखण्ड अधिकारी
फागी

के लिए किसी भी रसम कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं की और अपने बयानों में नामान्तकरण संख्या 327 व 328 तथा ए.डी.एम. के निर्णय को गोद जाने का आधार माना है और जब जिरह में प्रतिवादी से पूछा गया तो गोद के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया बल्कि प्रदर्श– 4 में रामसहाय जी की वल्दियत दामोदर होना माना है और समझौता 24.12.1995 में अपने दस्तखत होना माना है इससे भी स्पष्ट है कि राजीनामा सही रूप से किया गया है बल्कि राजीनामा के गवाह पुरुषोत्तम पारीक के पुत्र सीताराम के बयान हुये है और सीताराम ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी ने राजीनामे पर दस्तखत स्वेच्छा से किये है उस समय सीताराम भी मौजूद था। इससे स्पष्ट है कि तनकी संख्या 2 भी वादी ने साबित की है। जब तनकी संख्या 1 व 2 वादी ने साबित की है और वह खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है तो आराजीयात जैर वर्णित वाद के 1/2 हिस्से में वादी, प्रतिवादी को निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इस प्रकार तनकी संख्या 3 भी वादी ने साबित की है। तनकी संख्या 4, 5 व 6 को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। चूंकि स्वयं प्रतिवादी ने 24.12.1995 के समझौते पर हस्ताक्षर किये है और वादी का कब्जा होना स्वीकार किया है बल्कि अन्य गवाहों ने भी एवं हल्का पटवारी का भी प्रमाण पत्र हैं व सिंचाई विभाग का भी प्रमाण पत्र हैं कि वादी व प्रतिवादी दोनों ही शामिल में काश्त करते है और जब राजीनामे में भी प्रतिवादी, वादी को दामोदर जी का उत्तराधिकारी मानते हुये आराजीयात में अपना हिस्सा मानता है तो वह अपने बयानों एस्टोप्ड है और उससे मुकर नहीं सकता है और प्रतिवादी के इस एडमिशन से वादी 1/2 हिस्से का खातेदार होना साबित होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 4 को प्रतिवादी साबित नहीं कर पाया है और तनकी संख्या 5 व 6 को भी प्रतिवादी साबित नहीं कर पाये क्योंकि गोद के विषय में तनकी संख्या 1 व 2 में स्पष्ट उल्लेख किया जा चुका है। जब वादी ने तनकी संख्या 1, 2 व 3 को साबित किया है तो वादी अपने वाद को डिक्री कराने का अधिकारी है और आराजी जैर वाद का 1/2 हिस्से का खातेदार, काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है और उस अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है और विभाजन का स्पष्ट उल्लेख राजीनामा दिनांक 24.12.1995 में स्पष्ट किया हुआ है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी के हिस्से में दखल न देने हेतु भी प्रतिबंधित किया जावे ।

बहस प्रतिवादी लिखित

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई तथा अपनी लिखित बहस मे तथ्य अंकित

उपखण्ड अधिकारी
फागी

किये की वादी ने एक वाद इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा चाचा भतीजा है, वंशावली के अनुसार इनके पूर्वजे लक्ष्मीनारायण जी थे, लक्ष्मीनारायण जी के दामोदर जी हुये, दामोदर जी के दो पुत्र हुये, हरसहाय जिनकी मृत्यु हो गई, हरसहाय के पुत्र भारतेन्द्र (प्रतिवादी) है, दामोदर जी के दूसरे पुत्र का नाम रामसहाय है, वादी ने पैरा संख्या 2 में अंकित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जिनकी पैतृक सम्पत्ति ग्राम फागी में है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का 1/2, 1/2 हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में खतौनी संख्या 541 में वादी एवं प्रतिवादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है परन्तु खतौनी संख्या 699 में केवल प्रतिवादी का नाम दर्ज है जबकि 1/2 हिस्सा होना चाहिये क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हरसहाय व रामसहाय दोनो दामोदर के पुत्र है। वादी का कथन है कि हरसहाय परिवार में बड़ा है अतः दामोदर जी की मृत्यु के बाद पर्चा खातेदारी हरसहाय व वादी रामसहाय दोनो के नाम आनी चाहिये था परन्तु बड़ा होने के कारण हरसहाय का नाम चलता रहा और हरसहाय के मरने के बाद भारतेन्द्र के नाम विरासत का नामान्तकरण खुल गया कोई विवाद नही था इसलिये खातेदारी दुरूस्त नहीं करवाई मगर भविष्य में विवाद खड़ा हो सकता है। अतः दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है, वादी का यह भी कथन है कि दिनांक 25.12.1995 को वादी व प्रतिवादी के मध्य एक तकासमा भी हो चुका है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ, समझौता दिनांक 24.12.1995 के आधार पर खसरा नम्बर 2077, 1875, 1829, 1828, 3709, 2099, 2000, 2100, 2120/2, 3719 कुल किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा वादी के हिस्से में है जबकि खातेदारी प्रतिवादी की है, खसरा नम्बर 2073 2076 2111 2103 2106, 2120/1, 3699, 3710 के खातेदारी भूमि को यथावत्त बदस्तुर रखी जावे, वादी ने अनुतोष चाहा है कि खतौनी संख्या 699 किता 17 रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी का बराबर–बराबर हिस्सा है इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जो खातेदारी दर्ज की गई वह 1/2 हिस्से की कायम की जाकर समझौता दिनांक 24.12.1995 के आधार पर खसरा नम्बर 2077, 1875/2, 1829, 1828, 3709, 2099, 2100, 2120/2, 3719 कुल किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी की पक्ष की ओर से उक्त वाद का जवाब दावा पेश हुआ जिसमें स्पष्ट किया गया है कि वादी रामसहाय, रामचन्द्र जी के पुत्र कल्याण जी उर्फ कलजी के गोद चला गया था गोद जाने के बाद कल्याण जी की सम्पत्ति पर वादी मालिक रहा, चूंकि वादी कलजी उर्फ कल्याण जी के गोद चला गया था इस कारण दामोदर जी के परिवार व दामोदर की सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध वादी का नहीं रहा, प्रतिवादी ने अपनी वंश वंशावली जवाब दावे

उपखण्ड अधिकारी
फागी

में अंकित की है, प्रतिवादी का कथन है कि वादी के समस्त अधिकार कलजी उर्फ कल्याण जी की सम्पत्ति में निहित हो गये है व कल्याण की सम्पति पर काबिज है इसलिये दामोदर जी की सम्पतित में किसी प्रकार का कोई हित नही है न कब्जा है न सम्बन्ध है इस तथ्य को वादी ने न्यायालय से छुपाया है केवल मात्र दामोदर की वल्दियत कोर्ट में बताई है, जो गलत है वादी को सही तथ्य बताना चाहिये था, कलजी उर्फ कल्याण जी के गोद जाने की बात न्यायालय से छिपाकर वादी ने विधि एवं नैतिकता के विरूद्ध तथ्य अंकित किये है। जब दामोदर जी की मृत्यु हुई तब 1941 के लगभग वादी की उम्र 4 वर्ष व प्रतिवादी के पिता की उम्र 8 वर्ष थी, कल्याण जी जो वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वज थे उनके कोई सन्तान नहीं थी इसलिये कल्याण जी ने अपने जीवनकाल में दामोदर जी में उनकी पत्नि की सहमति से वादी को गोद ले लिया था इसलिये दामोदर की सम्पत्ति व परिवार से वादी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा, चूंकि वादी गोद चला गया था बड़ा होकर पढ़ लिखकर राजपत्रित अधिकारी हो गया, कलजी उर्फ कल्याण जी की सम्पत्ति पर काबिज हो गया इसलिये वादी यह जानता था कि दामोदर की सम्पत्ति में क़ानूनन उसका कोई अधिकार नहीं है, इसलिये उसने वादी या वादी के विरूद्ध सम्पत्ति को लेकर पहले अपने नाम लगाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की। दामोदर की समस्त भूमि पर हरसहाय का कब्जा है तथाकथित भी समझौता पर गलतफहमी में रखकर धोखे से हस्ताक्षर करवाये है। वादी ने यह कहकर हस्ताक्षर करवाये थे कि हरसहाय जी की भूमि तुम्हारे नाम रहेगी यह कहकर खाली स्टाम्प पर वादी ने हस्ताक्षर करवाये थे चूंकि वादी प्रतिवादी का खास चाचा है इसलिये उसकी नियत पर प्रतिवादी को कोई शंका नहीं हुई, न उसे स्टाम्प पढ़ाया गया, न दिखाया गया न समझाया गया न उसके सामने लिखा गया, कानूनन ऐसा समझौता विधि ,की दृष्टि में शून्य है। तथाकथित समझौता के आधार पर वादी किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता है क्योकि विधि के प्रावधानों के अनुसार धारा 17 रजि०एक्ट के अनुसार अनरजिस्टर्ड डाक्यूमेन्ट साक्ष्य में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, न ही किसी प्रकार के एग्रीमेन्ट के आधार पर जिसका पंजीयन नहीं हुआ हो खातेदारी अधिकार मिल सकते है । प्रतिवादी का कथन है कि वादी के तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ । वादी के वाद पत्र के पैरा संख्या 3 में स्वीकार किया है कि हरसहाय के नाम जमीन की खातेदारी दर्ज हो गई कभी कोई विवाद नहीं था, भविष्य में विवाद खड़ा हो सकता है, वादी के कथनानुसार वादी को वाद पेश करने का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ, वाद कारण के अभाव में भी वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। उक्त जवाबदावा पेश होने पर वादी ने जवाबुल जवाब पेश किया जवाबुल जवाब के पैरा संख्या 1 में वादी ने कहां है

उपखण्ड अधिकारी
फागी

कि वादी कलजी के गोद नहीं गया बल्कि वादी नजदीकी होने के कारण उसे कलजी की जमीन प्राप्त हुई है । यहा यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि कलजी की सम्पति वादी को प्राप्त हुई है। यह स्वीकृत तथ्य है परन्तु कानून मे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नजदीकी होने के कारण से किसी को भी सम्पति प्राप्त हो सकती है, सम्पति हस्तान्तरण विरासत, दान या रजिस्टर्ड विक्रय द्वारा ही हस्तान्तरित की जा सकती है, यदि खूनी रिश्ता होने के कारण से ही सम्पति दी जाती तो कल्याण जी उर्फ कलजी के खास भाई वाछू जी, धीसा जी, श्री नारायण जी, रघुजी व नृसिंह जी थे सब लोग रामचन्द्र जी के पुत्र है इसलिये कुछ खूनी रिश्ता होता तो इन पांचो भाईयों से प्रथमतः खूनी रिश्ता होता स्पष्ट है कि वादी ने गोद के तथ्य को छिपाने व कलजी की जमीन पर किस आधार पर काविज है इस तथ्य को छिपाने के उद्देश्य से व कलजी की जमीन पर काविज एवं उपभोग के तथ्य को जस्टीफाईड करने के उद्देश्य से खूनी रिश्ते का भ्रामक एवं झुंठा तथ्य अंकित किया है उक्त कथनों के आधार पर निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई।

तनकी नम्बर 1 आया– वादी खतौनी संख्या 699 कुल किता 17 रकबा 35 बीघा 13 विस्वा है उसमें 1/2 हिस्सा वादी का है, वादी तकासमा घोषणा करवाने का अधिकारी है, 1/2 हिस्से पर कब्जा है, उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है ।

क्या इस बात को वादी अपने दस्तावेजी स्टाम्प साक्ष्य व मौखिक बयानों से यह सिद्ध कर पाया है कि खतौनी संख्या 699 में पेतृक सम्पत्ति होने के नाते उसका 1/2 हिस्सा है जिस पर उसका कब्जा है ? इस सम्बन्ध में वादी ने एक समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 पेश किया है जिसके अनुसार यह तय किया गया है कि विवादित आराजी जिसका कुल रकबा 37 बीघा 4 विस्वा है, वादी के हिस्से में रहेगा व 35 बीघा 6 विस्वा प्रतिवादी के हिस्से में रहेगा व खसरा नम्बर 5706 में रकबा 1 बीघा 12 विस्वा भूमि खेत प्रतिवादी को पश्चिम की तरफ प्राप्त होगा एवं जयपुर की सड़क पर जो खेत है उसकी 20 फुट चौड़ाई की पट्टी में दोनो को आधा–आधार हिस्सा होगा, यदि इस बंटवारे का परीक्षण किया जावे तो यह स्पष्ट है कि इस बंटवारे की लिखावट का पंजीयन नहीं हुआ है, पारिवारिक समझौता का पंजीयन होना आवश्यक है। इस बात का रान् 1996 (1) आर. एल. आर. पेज 155, 2006 आर. बी. जे. पेज नं. 487, 2004 आर. बी.जे. पेज नं. 38 व 1987 आर. आर. डी. पेज संख्या 348 में मान्य न्यायालयो में भिन्न भिन्न समयों पर अभिनिर्धारित किया है कि पारिवारिक समझौते का पंजीयन आवश्यक है। इन न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुये पारिवारिक समझौता सन् 1995 महत्वहीन है पारिवारिक समझौता में तहसीलदार आवश्यक पक्षकार है

उपखण्ड अधिकारी फागी

उसकी अनुपस्थिति में पारिवारिक समझौता सम्पादित नहीं किया जा सकता। न्यायिक दृष्टान्तों में स्पष्ट किया गया है कि बंटवारे में तहसीलदार का होना आवश्यक है क्योंकि भूधारक तो तहसीलदारही है तहसीलदार की अनुपस्थिति में किया गया बंटवारा एबीनीशियो बाईड है । वादी ने एक दान पत्र पेश किया है जो प्रदर्श – 3 है, खसरा नम्बर 2425 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, 2429 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 2434 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा है दस्तावेज के अनुसार यह जमीन रोडू पुत्र सुवालाल की है, रोडू पुत्र सुवालाल ने प्रतिवादी के पिता हरसहाय को दिनांक 13.9.1963 को बख्शीश की थी, खसरा नम्बर 2434, 2429 व 2425 हरसहाय को दान में मिली हुई है इसलिये वह वादी के पिता हरसहाय की स्वअर्जित सम्पत्ति है, इस प्रकार यह सम्पत्ति व पारिवारिक समझौता का हिस्सा नहीं बन सकती है, न ही पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति का हिस्सा बन सकती है।

प्रदर्श–4– हाई स्कूल एक्जामिनेशन का प्रमाण पत्र पेश किया है, यह दस्तावेज भी किसी प्रकार से सिद्ध नहीं करता कि विवादित जमीन वादी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। प्रदर्श–6 वादी ने प्रमाण पत्र जो तहसील फागी द्वारा जारी किया गया है दिनांक 29.8.2007 पेश किया है जिसमें लिखा है कि वादी का खसरा नम्बर 1828, 1829, 2100, 1875/2, 2073, 2078 2077, 2099, 2102, 2103, 2108, 2120/1, 2120/2, 3689, 3709, 3710, 3708, 3718 कुल किता 18 कुल रकबा 35 बीघा के रकबे में 1/2 हिस्से पर एवं कमलकिशोर, विमलकिशोर, सुशीला किशोर, शरद, किशोर का खसरा नम्बर 2101 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा पफे पूरे भाग पर एवं पुरूषोत्तम, भारतेन्दु, रामसहाय की खातेदारी के खसरा नम्बर 2842 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के पूरे भाग पर रामसहाय पारीक का किता 20 पर 25 बीघा 2 बिस्वा पर कब्जा काश्त है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र बनाने का राज, टीनेन्सी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, न ही कब्जे के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारी कोई रिपोर्ट दे सकता है कब्जा केवल साक्ष्य से सावित किया जा सकता है। सही तथ्य यह है कि वादी स्वयं राजपत्रित अधिकारी था उसने पटवारी हल्का से मिलकर इस प्रकार के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करवाये थे, प्रमाण पत्र में यह भी नहीं लिखा है कि विवादित आराजी के कौन पड़ोसी है किन व्यक्तियों से पूछताछ की, पक्षकारों को बुलाया या नहीं उन्हें पूछा गया या नहीं, मौके पर कौन काश्तकार उपस्थित थे इस प्रकार पक्षकारान ही गैर उपस्थित थे इस प्रकार पक्षकारान की गैर उपस्थित में व बिना सूचना व बिना गवाहों के पटवारी हल्का वादी के नाजायज प्रभाव में आकर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता । वादी ने एक दस्तावेज प्रदर्श – 7 व प्रदर्श–8, प्रदर्श–9 पेश किया है जिसमें रामसहाय ने बंटाई पर जमीन काश्त करना बताया है उक्त प्रदर्श–8 में जो काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
फागी

हीरालाल जो ईकरारकर्ता है वह एवं लिखावट दिनांक 29.7.2007 लिखने वाला चिरंजीलाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ, न ही प्रदर्श–9 को गवाहान ने आकर सशपथ सिद्ध किया, किसी भी लिखावट को उसका लेखक ही सिद्ध कर सकता है जिसने लिखावट लिखी है या जिसके पक्ष में लिखा गया है वह स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सिद्ध कर सकता है। प्रदर्श – 10 राशन कार्ड पेश किया है जो केसरलाल, कन्हैयालाल का है, प्रदर्श – 11 जमाबन्दी सम्वत् 2004 पेश की है इस जमाबन्दी के नम्बर दावे में अंकित नही है, इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज इस बात को सिद्ध नहीं करते है कि वाद में अंकित नम्बर वादी की पैतृक सम्पत्ति है प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में यह लिखा है कि वादी रामसहाय कल्याण जी के गोद चला गया था। कल्याण जी की सम्पत्ति पर वादी आज भी काबिज है, कल्याण जी की जमीन पर वादी काबिज है इस तथ्य से जवाबुल जवाब में वादी ने मना भी नहीं किया है, सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार तथ्यों को स्पष्ट रूप से मना करना होगा अर्थात कल्याण जी की सम्पत्ति पर काबिज होना उसने स्वीकार किया है परन्तु वादी ने जवाबुल जवाब में अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये यह कहां है कि कल्याण जी की सम्पत्ति उसे खून का रिश्ता होने के कारण से प्राप्त हुई है, प्रतिवादी का कथन है कि वादी कल्याण जी के गोद गया था इसलिये उसका कब्जा कल्याण जी की सम्पत्ति पर है यह स्वीकृत तथ्य होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के गोद देने के बाद उस बालक को जन्म देने वाले परिवार से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहता है, न ही वह उस परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं रहता, न ही वह उस परिवार का सदस्य रहता, न वह उस परिवार की सम्पत्ति का हिस्सेदार रहता, बल्कि वह व्यक्ति जिस परिवार के गोद गया है उसी परिवार का सदस्य होता है, उसी की सम्पत्ति में उसका हिस्सा होता है, इसी प्रकार से वादी के स्वयं के बयान की जिरह को देखे तो वादी एक राजपत्रित अधिकारी होते हुये कितना झुंठ बोलता है, कल्याण से प्राप्त जमीन खसरा नम्बर 64 व 3 को नही जानता हूं फिर कहता है कि खसरा नम्बर 6 का रकवा 4 बीघा 4 बिस्वा व 3 का रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा है। यह जमीन मेरे खाते में है, ना0सं0 327, 328 भी मेरे ध्यान में है, नामान्तकरण संख्या 327 में जो अंगुठा किया गया है वह गलत लिखा है, प्रदर्श ए–1 नामान्तकरण है जिसके कॉलम संख्या 5 में खातेदार कल्याण का नाम है एवं कॉलम संख्या 11 में रामसहाय पि०मुव (दत्तक पुत्र) कल्याण व्यास दर्ज है एवं कॉलम नं. 16 में भी गोदनामें का अंकन है, प्रदर्श – ए – 1 से स्पष्ट है कि वादी रामहाय कल्याण जी के गोद गया था जिस पर वह गोद पुत्र होने के नाते काबिज है न कि खूनी रिश्ता होने से काबिज है। परन्तु रामसहाय ने न्यायालय को गुमराह किया है व शपथ लेकर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

न्यायालय में झुठे बयान दिये है। नामान्तकरण संख्या 328 के भी कॉलम नं. 11 में रामसहाय पि०गु० कल्याण अंकित है, नामान्तकरण संख्या 328 की आराजी पर भी वादी काबिज है। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में दत्तक पुत्र होना अंकित है जिसके खण्डन में कोई वादी ने दस्तावेज पेश नहीं किये है। वादी न्यायालय में झुंठे बयान देता है, नामान्तकरण संख्या 328 में अंकन को गलत बताया है, कल्याण जी कोई जमीन थी लेकिन मुझे खसरा नम्बर याद नहीं है, वादी ने इस तथ्य को अपने बयानों में स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 6,4,3 मेरे खाते में है जो पहले प्रदर्श ए–1 के अनुसार जो पहले कल्याण के खाते में दर्ज थे। खसरा नम्बर 2 भी अपने खाते में होना स्वीकार करता है, लगान भी वादी जमा कराता है, कल्याण के खाते की करीब 28 बीघा जमीन हम दोनो भाईयों के नाम अर्थात हरसहाय, रामसहाय के नाम लगी थी परन्तु प्रतिवादी के पिता हरसहाय ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी परन्तु मैने नहीं बेची, परन्तु वादी का यह कथन भी असत्य है, वादी ने कोई सा दस्तावेज नहीं दिया जो सिद्ध करता हो कि हरसहाय ने कल्याण से प्राप्त जमीन को बेची है । नामान्तकरण संख्या 327,328 में कॉलम नं. 11 में केवल मात्र कल्याण के रामसहाय दत्तक पुत्र होना अंकित है, हरसहाय का नहीं, हरसहाय ने कल्याण से मिली जमीन को बेची इसका कोई रिकार्ड खसरा नम्बर वादी ने पेश नहीं किया है, वादी ने आगे पुनः झुंठ बोला है कि मैने कल्याण जी के खाते की जमीन भी दावे में लिखवा दी थी दावे में कल्याण के खाते की जमीन का अंकन नहीं है। वादी ने यह भी कहां है कि मुझे जो कल्याण से जमीन मिली थी उसमें 1/ 2 हिस्सा देने को तैयार हूं परन्तु ऐसा कोई अंकन राजीनामा में नहीं है। तनकी नं. 1 को सिद्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि वादी न्यायालय के समक्ष अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में यह प्रमाणित करता कि वह दामोदर जी के परिवार का सदस्य है। क्योंकि कल्याण जी के गोद जाने के बाद वादी रामसहाय का दामोदर जी के परिवार से दामोदर जी की सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा, यह स्वीकृत तथ्य है कि कल्याण की सम्पत्ति पर वादी काबिज है । इस बात की पुष्ठि नामान्तकरण संख्या 327,328 प्रमाणित करती है जबकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गोद जाने के बाद उसके समस्त अधिकार गोद लेने वाले पिता के निहित हो जाते है। तो फिर बटाई यहाँ के कागजात (गवाह पेश नहीं हुये) राजीनामा पारिवारिक समझोता, राशन कार्ड आदि समस्त दस्तावेज जो वादी ने प्रस्तुत किये वह महत्वहीन हो जाते है। रामसहाय के अलावा वादी ने सीताराम के बयान करवाये है। उक्त गवाहान ने भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया की रामसहाय कल्याण जी के गोद नहीं गया, नाथूलाल न्यायालय के समक्ष पेश हुआ उसने जिरह में यह कहां है कि मै सहगोत्र का अर्थ नहीं समझता जबकि मुख्य

उपखण्ड अधिकारी
फागी जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

बयानों में सहगोत्र लिखा हुआ – है, गवाह ने यह भी कहां कि सहगोत्र शब्द लिखा है तो भी वह गलत लिखा है शपथ पत्र में मेरी आयु गलत लिखी है, गवाह ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि कल्याण की पगड़ी बधी, पगडी के समय मैं मोजूद था, गांव के लोग भी मोजूद थे, गवाह यह कहता है कि वर्तमान में काश्त की है पहले कभी काश्त नहीं की इस प्रकार यह गवाह भी कल्याण की पगडी का दस्तुर दत्तक पुत्र हरसहाय के होने की बात करता है, यदि यह कथन सत्य है तो विरासत का नामान्तकरण हरसहाय प्रतिवादी के पिता के खुलना चाहिये, गवाह नारायण ने भी यह कहां है कि दामोदर जी की जमीन हरसहाय जी के लगी या नहीं मुझे पता नहीं तथा कथित लिखावट के लिये पी. डब्ल्यू – 3 कहता है कि यह लिखावट किसने लिखी मुझे पता नहीं, स्टाम्प पर लिखी थी या नहीं मुझे पता नहीं, किसने हस्ताक्षर किये मुझे पता नहीं मौके पर जाकर जमीन का कोई बंटवारा नहीं किया इस प्रकार यह गवाह भी वाद के कथनों की पुष्टि नहीं करता बल्कि जवाब दावे का समर्थन करता है । पी. डब्ल्यू – 4 घासीलाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, घासीलाल ने कहां है कि जमीन की देखरेख रामसहाय जी लगभग करीब 50 वर्षो से करते आ रहे है। खेत की मेड़ बन्दी, कुएं पर इन्जन लगवाने का काम आदि काम रामसहाय ही करते है। गवाह यह भी कहता है कि हरसहाय जी के हिस्से की आखी उपज जयपुर जाकर देकर आता था गवाह जिरह में कहता है कि मेने मेरी उम्र 63 वर्ष लिखवाई है और शपथ पत्र दिये हुये करीब 78 महिने हो गये है उम्र का गलत अंकन किया है। गवाह कहता है कि रामसहाय जी कितनी जमीन बोता है? हरसहाय जी कितनी जमीन बोता है? मुझे पता नहीं है यह दोनो कब अलग हो गये मुझे पता नहीं है, मुख्य परीक्षा में हरसहाय को उसके हिस्से की उपज जयपुर देता था यह बात गलत लिखी हुई है तथा कथित राजीनामें में क्या–क्या लिखा है मुझे पता नहीं किसने हस्ताक्षर किये है मुझे पता नहीं यह गवाह भी प्रकाश नहीं डालता, तनकी नं. 1 को सिद्ध करने के लिये वादी को यह तथ्य साबित करना आवश्यक था कि वादी कल्याण के गोद नहीं गया (2) कल्याण की सम्पतित पर काबिज नहीं है जबकि वादी के गवाह ने कहां है कि कल्याण की पगड़ी का दस्तुर वादी के हुआ है । गवाह पी.डब्ल्यू–5 सीताराम जो एम. ए. तक पढ़ा हुआ है ग्राम पंचायत फागी का सरपंच रहा है उसने स्वीकार किया है कि नामान्तकरण संख्या 327,328 में रामसहाय का कल्याण के दत्तक पुत्र होना लिखा है गवाह सीताराम वादी का परिवारजन है उसने कहा है कि मै यह नहीं बता सकता है कि रामसहाय किन किन खसरा नम्बर पर काबिज है इस प्रकार यह गवाह भी नामान्तकरण संख्या 327,328 में रामसहाय को कल्याण के गोद जाने के तथ्य को स्वीकार करता है। डी. डब्ल्यू – 1 भारतेन्द्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसने कहां है कि विवादित जमीन का पर्चा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

मेरे दादाजी श्री दामोदर जी के नाम से आया था जिससे मृतक कल्याण या उसके वारिशान का कोई सम्बन्ध नहीं है। विवादित सम्पत्ति मेरे दादाजी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, जिससे मृतक कल्याण का कोई संबंध नहीं था, कल्याण की सम्पत्ति पृथक है एवं प्रतिवादी के पिताजी की सम्पत्ति पृथक है। विवादित जमीन का कल्याण से कोई सम्बन्ध नही है चूंकि वादी कल्याण के गोद चला गया इसलिये दामोदर की सम्पत्ति से वादी का कोई सम्बन्ध नही है, प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे के समर्थन में प्रदर्श ए–1 नामान्तकरण संख्या 327 पेश किया है जिसमें कॉलम नं. 11 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रामसहाय पि०मु० कल्याण एवं कॉलम नं. 14 में उत्तराधिकारी व कॉलम नं. 16 में कल्याण का उत्तराधिकारीरामसहाय को माना है एवं रामसहाय के पक्ष में नामान्तकरण खोला है, नामान्तकरण के पिछे ग्राम पंचायत का निर्णय है जिसमें स्पष्ट रूप से कल्याण का उत्तराधिकारी रामसहाय पुत्र दामोदर को घोषित किया गया है। उक्त नामान्तकरण निर्विवाद है जिसे कही भी चुनोती नहीं दी गई। वादी कल्याण की आराजी पर काबिज है, प्रतिवादी ने नामान्तकरण संख्या 328 पेश किया है जो प्रदर्श ए–2 है जिसके कॉलम नं. 11 में रामसहाय पि० मुतन्ना एवं कॉलम नं. 14 में उत्तराधिकारी एवं कॉलम संख्या 16 में कल्याण की आराजी का नामान्तकरण रामसहाय के खोले जाने का अंकन है पुस्त पररामसहाय पुत्र कल्याण का निर्णय दिया है यह निर्णय भी निर्विवाद है, वादी ने कही भी इसे चुनोती नहीं दी, नामान्तकरण संख्या 3 व 4 भी प्रतिवादी ने पेश किया है जिसमें कॉलम नं. 11 में रामसहाय पिसरान मुतन्ना कल्याण, 14 में उत्तराधिकारी व कॉलम संख्या 16 में कल्याण की जमीन रामसहाय के लगाने का निर्देश है, प्रदर्श–ए–5 पेश किया है जो न्यायालय एडीशनल कलक्टर जयपुर के यहां वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन है जिसमें वादी के हस्ताक्षर है, प्रार्थना पत्र में रामहाय पुत्र कल्याण स्वयं वादी ने लिखा है, प्रदर्श ए –6 रामसहाय वादी ने न्यायालय एडिशनल कलक्टर के यहां एक शपथ पत्र पेश किया है उक्त शपथ पत्र में वादी रामसहाय ने स्वयं को कल्याण का पुत्र बताया है। प्रदर्श – 7 एडिशनल कलक्टर जयपुर का निर्णय जिसमें अपीलान्ट रामसहाय वादी था उसमे भी रामसहाय पुत्र कल्याण लिखा हुआ है, वादी ने एडिशनल कलक्टर के यहां एक अपील पेश की है जिसमें टाईटल में रामसहाय पुत्र कल्याण अंकित है । रामसहाय ने अपनी अपील के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के समर्थन में पेश किया है जिसमें भी वादी ने अपने आपको रामसहाय पुत्र कल्याण बताया है। निर्णय ए.डी.एम. दिनांक 9.1. 1964 के टाईटल में वादी के पिता का नाम कल्याण अंकित है जो प्रदर्श 11 है पर्चा सेटलमेन्ट पेश किया है जिसमें कल्याण की सम्पत्ति रामचन्द्र से विरासत में प्राप्त हुई है, अर्थात दामोदर से विवादित सम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है, कल्याण पुत्र रामचन्द्र एवं

उपखण्ड अधिकारी
फागी

दामोदर पुत्र लक्ष्मीनारायण की सम्पत्ति पृथक–पृथक है । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वादी रामसहाय कल्याण के गोद गया था, वादी अपने शपथ पत्र एवं न्यायालय के निर्णय में वल्दियत कल्याण अंकित होने से इन्कार नहीं कर सकता है, वादी पर एस्टोप्पलका सिद्धान्त लागू होता है, प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य पेश किये है, प्रतिवादी ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित आराजी प्रतिवादी के प्रपिता दामोदर की स्वअर्जित सम्पत्ति है, पर्चा दामोदर के नाम से ही आया था इसलिये पूर्वजों की जमीन होने का वादी का कथन असत्य है जिरह में भी प्रतिवादी के इस तथ्य के खण्डन का कोई वादी ने जबाब पेश नही किया है। प्रतिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहां है कि कल्याण के मरने पर बहैशियत पुत्र रामसहाय ने ही कल्याण का दाह संस्कार, कपाल क्रिया, पिण्डदान, क्रियाक्रम द्वादशा वादी रामसहाय ने ही किया था प्रतिवादी का यह भी कथन है कि तथाकथित राजीनामा पर प्रतिवादी ने यह कहकर हस्ताक्षर कराये है कि कुछ जमीन मेरे पिता कल्याण व तुम्हारे पिता दामोदर की सम्पत्ति हरसहाय के नाम लग गई वह अलग–अलग करनी है क्योंकि प्रतिवादी जयपुर रहता है उसने रामसहाय के कथन पर विश्वास कर खाली कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये थे क्योंकि उस समय रामसहाय की नियत पर वादी को अविश्वास नहीं था तथाकथित राजीनामा पर धोखे से हस्ताक्षर करवाये थे जिरह में भी वादी पक्ष की और से इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया। इसलिये वादी का यह कथन स्वीकृत तथ्य है कि वादी ने खाली कागजों पर तथाकथित राजीनामा पर हस्ताक्षर करवाये थे। यह कथन भी स्वीकृत तथ्य है कि कल्याण का दाह संस्कार, कपाल क्रिया, पिण्डदान, द्वादशा आदि बहैशियत पुत्र कल्याण के वारिशान वादी रामसहाय ने की थी गवाह नाथूलाल ने कहां है कि कल्याण की पगड़ी का दस्तुर हरसहाय के हुआ था मै उसमें मौजूद था। गवाह नाथू हितबद्ध गवाह है। डी.डब्ल्यू– 2 – न्यायालय के समक्ष पेश हुआ उसने स्पष्ट रूप से कहां है कि जिस समय रामसहाय के कल्याण की पगडी बंधी उस समय रामसहाय 9–10 वर्ष का था पगडी कल्याण की बंधी थी, फौती का नामान्तकरण कल्याण का रामसहाय के नाम खुला तब वह पंचायत में बैठता था, गवाह ने यह भी कहां है कि रामसहाय का पालन, पोषण, शिक्षा, दीक्षा, विवाह कल्याण ने किया था, रामसहाय के पास जो जमीन है वह कल्याण से मिली थी, इस प्रकार प्रतिवादी ने तनकी नम्बर 1 में पूर्ण रूप से यह सिद्ध किया है कि वादी कल्याण के गोद गया था, वादी द्वारा समस्त दस्तावेज जो पेश किये गये है कि वह वादी द्वारा तैयार किये गये है जिससे वादी इन्कार नहीं कर सकता है। धारा 92 साक्ष्य अधिनियम वह कहता है कि दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य से श्रेष्ठ है, धारा 101 साक्ष्य अधिनियम यह कहता है कि वाद के तथ्यों को सिद्ध करने का भार

उपखण्ड अधिकारी
कामां

वादी पर है, यदि प्रतिवादी की साक्ष्य कमजोर भी है तो उसका लाभ वादी को नहीं मिल सकता है, यद्यपि प्रतिवादी की साक्ष्य ठोस आधार पर निर्भर है। धारा 17 साक्ष्य अधिनियम यह कहती है कि तथ्यों का एडमीशन सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है, धारा 17 यह भी कहता है कि अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेन्ट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथाकथित राजीनामा एक एग्रीमेन्ट है जिसके आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है इस प्रकार वादी तनकी नं. 1 को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। इसलिये तनकी नं. 1 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में राय की जावे।

तनकी नं. 2– आया विवादग्रस्त आराजीगत वर्णित पैरा संख्या 45 वाद पत्र का तकारामा आपसी समझौता दिनांक 24.12.1995 के अनुसार किया जाकर फैटबन्दी की आज्ञा पारित कराने का वादी अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर है, वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिये एक समझौता पत्र पेश किया है जिसके अनुसार वादी का कथन है कि पक्षकारान के मध्य यह समझौता हुआ था जिस पर वादी एवं प्रतिवादी ने हस्ताक्षर किये थे व गवाहान ने भी हस्ताक्षर किये है गौरतलब है कि किसी भी गवाह ने आकर यह नहीं कहां है कि बंटवारा या लिखावट हमारे समक्ष हुई थी जिसमें मैने हस्ताक्षर किये थे जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में एवं शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तथाकथित बंटवारा, समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 पर प्रतिवादी के धोखे से खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाये थे इंकारी का वादी पक्ष की और से कोई खण्डन नहीं किया गया है, वादी को धोखे से हस्ताक्षर कराने के तथ्य का खण्डन करने के लिये जिरह का पूर्ण अवसर वादी को मिला था परन्तु इस सम्बन्ध में वादी पक्ष की और से किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया, सी.पी.सी. का सामान्य सिद्धान्त है कि यदि किसी तथ्य का स्पष्ट रूप से खण्डन नहीं किया गया तो वह स्वीकृत तथ्य माना जायेगा। जहां तक अन्य दस्तावेज का प्रश्न है वह भी इस बात को सिद्ध नहीं करते की वादी का विवादित आराजी पर कब्जा है, वादी ने जो तथाकथित राजीनामा पेश किया वह राजीनामा पंजीबद्ध नहीं है। उक्त लिखावट दिनांक 24.12.1995 के संबंध में वादी ने अपनी जिरह में कहां है कि समझौते के समय पुरूषोतम लाल पारीक फागी व पुरूषोत्तम पारीक निवाई, जगदीश भारतेन्द्र, नाथू गुर्जर व अन्य लोग भी थे परन्तु हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी भी ने आकर यह नहीं कहां है कि समझौता हमारे समक्ष हुआ व हमने हस्ताक्षर किये केवल मात्र दस्तावेज प्रदर्श होने से सिद्ध नहीं होता है । न इसमें दस्तावेज का लेखक पेश हुआ, लिखावट में 4–5 घंटे लगे थे, वादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कल्या (जिसके वादी गोद गया है) व दामोदर (

उपखण्ड अधिकारी
फागी

प्रतिवादी के प्रपिता) के पर्चे अलग–अलग आये थे, स्पष्ट है कि विवादित जमीन पैतृक नहीं है । जब विवादित सम्पत्ति पैतृक नहीं है, स्वअर्जित सम्पत्ति है तो उसकी खातेदारी पैतृक सम्पत्ति के आधार पर नहीं दी जा सकती है, पैतृक होने का साक्ष्य पेश करना चाहिये, वादी ने कहा है कि उक्त समझौता नोटेरी से सत्यापित नहीं कराया था जबकि समझौता दिनांक 24.12.1995 नोटेरी से सत्यापित है, समझौता दिनांक 24.12.1995 इस कारण भी संदिग्ध प्रतीत होता है कि एक गवाह के हस्ताक्षर दिनांक 24.12.1995 है एक गवाह के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 14.11.1995 अंकित है, लिखावट दिनांक 24.12.1995 की है, हस्ताक्षर के नीचे 14.11.1995 अंकित है अर्थात लिखावट लिखने से पहले ही हस्ताक्षर हो गये थे तथाकथित लिखावट फागी में लिखी गई, नोटेरी पब्लिक से सत्यापन जयपुर में करवाया गया जिसमें कोई तारीख अंकित नहीं है, नम्बर नहीं है, नोटेरी पब्लिक का नाम नहीं है, पारिवारिक समझौता में रजिस्टर्ड एक्ट के प्रावधानों धारा 17 के अनुसार बिना रजिस्ट्रेशन के साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ज्यादा से ज्यादा उक्त लिखावट एक एग्रीमेन्ट हो सकता है, एग्रीमेन्ट के आधार पर किसी प्रकार के कोई खातेदारी अधिकार मान्य न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है। इस दस्तावेज को सिद्ध करने के लिये स्वयं वादी ने कहा है कि समझौता दिनांक 24.12.1995 नोटेरी से सत्यापित नहीं है जबकि उक्त दस्तावेज सत्यापित है इस प्रकार अंकित तारीख एवं वादी के कथनों से उक्त दस्तावेज संदिग्ध हो जाता है जब वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तो वह बंटवारा करवाये जाने का अधिकारी भी नहीं है, वादी ने प्रदर्श – 7,8,9 पेश किया है जो केवल मात्र यह साबित करते है कि वादी ने कोई जमीन इन्हे सीर पर बताई है परन्तु अधिकार एवं बंटवारे के बाबत् प्रदर्श 7,8,9 वादी की सहायता नहीं करते, एतर्थ वादी किसी भी प्रकार के बंटवारे का अधिकारी नहीं होने के कारण तनकी नम्बर 2 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में तय की जावे । तनकी नं. 3 आया– वादी प्रतिवादी को अपने हिस्से में विवादित आराजी रकबा 9 बीघा 17 विस्वा व 10 विस्वा में समझौता दिनांक 24.12.1995 के अनुसार वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है ? इस तमन्त्री को सिद्ध करने का भार भी वादी पर है इस तनकी को तय करने के लिये तनकी नं. 1 व तनकी नं. 2 को सिद्ध करने का भार वादी पर है जब तक वादी तनकी नं. 1 व 2 को सिद्ध नहीं कर देता तब तक वह किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, प्रतिवादी ने पूर्ण रूप से यह सिद्ध किया है कि विवादित आराजी प्रतिवादी की पैतृक सम्पत्ति है जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है, प्रतिवादी ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध किया है कि वादी कल्याण के गोद गया है वादी के गवाह नाथूलाल पी. डब्ल्यू–2 ने

उपखण्ड अधिकारी
फागी

भी इस तथ्य को जिरह में कहा है कि उसे 10-12 वर्ष हो गये वह खेती नहीं करता, कुल जमीन 30-35 बीघा बताई है जबकि समझौते में कुल जमीन करीब 70 बीघा है, गवाह ने कहा है कि कल्याण की पगडी का दस्तुर हरसहाय जी के ही हुआ था, गवाह बिल्कुल झुंठ बोलता है क्योकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 327 प्रदर्श ए-1 व प्रदर्श ए-2 इस तथ्य का समर्थन नहीं करते । गवाह पी. डब्ल्यू. - 3 कहता है कि मेरे सामने कोई बंटवारा नही हुआ, मौके पर कोई जमीन बंटी हुई नहीं है दामोदर जी की जमीन हरसहाय के नाम लगी या नहीं मुझे पता नहीं है, जमीन बताने की कोई लिखावट नहीं करते थे जबकि वादी ने लिखावट पेश की है वह फर्जी है । गवाह कहता है कि तथाकथित समझौता किसने लिखा मुझे पता नही है। स्टाम्प पर हुई या सादा कागज पर मुझे पता नही है, किस-किस ने हस्ताक्षर किये मुझे पता नहीं है, मौके पर जाकर कोई बटवारा नहीं किया गया। पी.डब्ल्यू-4 न्यायालय के समक्ष पेश हुआ उसने कहां है कि रामसहाय जी की कितनी बोता है, हरसहाय की कितनी जमीन बोता है मै न ही बता सकता, कब अलग हुये मै नहीं बता सकता, रामसहाय जी को आधी पांती देता था, हरसहाय जी को एक ही बार पांती दी थी उसके बाद नहीं दी, शपथ पत्र में यह बात गलत लिखी है कि मै हरसहाय जी को पांती देता था । तथाकथित समझौता पत्र पर गवाह कहता है कि स्टाम्प कौन लाया मुझे पता नहीं, कहां से लाया मुझे पता नहीं, किस-किस ने हस्ताक्षर किये मुझे पता नहीं है। इस प्रकार गवाह भी समझौता दिनांक 24.12.1995 का समर्थन नहीं करता। पक्षकारान के मध्य समझौता दिनांक 24.12.1995 के आधार पर कोई बंटवारा हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं हुआ, वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज अपने वाद के समर्थन में पेश नहीं किया जो प्रतिवादी द्वारा तैयार किया गया। उस दस्तावेज से यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखता हो, जबकि प्रतिवादी ने ऐसे दस्तावेज पेश किये है जिन पर स्वयं वादी के हस्ताक्षर है जिनमें वादी की वल्दियत कल्याण अंकित है। न्यायालय स्वयं के हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिया प्रतिवादी ने पेश की है। जिन की विश्वसनीयता व श्रेष्ठता संदिग्ध नहीं है।

तनकी नं. 4 आया दिनांक 24.12.1995 के समझौता पत्र/प्रतिवादी संख्या 1 से वादी ने ~~धोखे से हस्ताक्षर करवाये थे, समझौते के आधार पर वादी खातेदारी प्राप्त करने का~~ अधिकारी नहीं है ।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि तथाकथित समझौते पर प्रतिवादी के धोखे से हस्ताक्षर करवाये थे इस सम्बन्ध में तथाकथित समझौता दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ

24.12.1995 का अवलोकन करे तो ज्ञात होता है कि समझौता में केवल मात्र प्रतिवादी को जो जमीन अपने दादा दामोदर से मिली केवल मात्र उन्ही नम्बरों का विभाजन लिखा है, समझौते में जो जमीन है वह दामोदर की स्व अर्जित सम्पत्ति है । कल्याण के नाम से भी पर्चा जारी हुआ था जो दामोदर की जमीन से अलग है। यदि थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जावे कि पक्षकारान के समझौता हुआ था तो समझौते में कल्याण के नाम की भी जमीन शामिल होनी चाहिये थी परन्तु कल्याण की जमीन समझौते में शामिल नहीं थी इसी से स्पष्ट है कि तथाकथित समझौते धोखे से लिखा गया है । जिरह में स्वयं वादी ने अपने बयानों में कहां है कि मैने जो दावा पेश किया है उसमें कल्याण जी के भी नम्बर दर्ज करवाये है, फिर दावे को पढ़कर कहां कि नही करवाये मै तो केवल समझौता के अनुसार 1/2 हिस्से की खातेदारी चाहता हूं। इससे स्पष्ट है कि वादी नेबदनियति पूर्वक खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर मनमर्जी से तथाकथित लिखावट ली, जिरह में वादी कहता है कि कल्याण के नाम आई हुई जमीन में से 1/2 हिस्सा देने के लिये तैयार हूं। परन्तु यह बात मैने दावे में नही लिखी न समझौते में लिखी इससे स्पष्ट है कि तथाकथित समझौता फर्जी है, जिसके आधार पर वादी किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नही है। उक्त समझौता का किसी भी गवाह ने समर्थन नहीं किया है। पी.डब्ल्यू-3 ने कहां है कि तथाकथित समझौता की लिखावट किसने की मुझे पता नहीं, स्टाम्प पर हुई या खाली कागज पर मुझे पता नहीं, किस-किस ने हस्ताक्षर किये मुझे पता नहीं, मौके पर जाकर - बंटवारा मेरे सामने नहीं किया, इसी प्रार पी. डब्ल्यू - 3 ने भी यह कहां है कि मेरे ओर वादी के आपस में भाईचारा है, कल्याण जी की पगड़ी का दस्तुर भी रामसहाय (प्रतिवादी के पिता) के हुआ था यदि इस गवाहान का कथन सही है तो इसका अंकन दावे में भी आना चाहिये था परन्तु न दावे में है, न वादी के शपथ पत्र में है। पी. डब्ल्यू - 4 भी समझौता के बारे में मुख्य परीक्षा में कुछ नही कहता है। पारिवारिक समझौता के लिये रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है ऐसा समझौता तहसीलदार जो लैण्ड होल्डर है की उपस्थिति में ही हो सकता है। यदि उसकी अनुपस्थिति में कोई समझौता है तो वह इनीशियो बोईड है। यदि पारिवारिक समझौता होता तो वादी ने 1/2, 1/2 हिस्से का दावा किया है बयानों में भी 1/2, 1/2 हिस्सा ही क्लेम किया है परन्तु तथाकथित समझौता का अवलोकन करे तो एक पक्ष के 37 बीघा 4 विस्वा है व दूसरे पक्ष के 35 बीघा 6 विस्वा है इस प्रकार समझौता संदिग्ध एवं फर्जी है न ही कोई समझौतो के गवाहो इस समझौते के दस्तावेज को सिद्ध किया है। पी. डब्ल्यू-2 कहता है कि मैने सम्वत् 2011 से करीब केवल 5-6 वर्ष तक खेती की है, घासी गुर्जर ने भी 2-4 वर्ष काश्त की है, हीरा जाट ने भी 5-6 वर्ष काश्त की थी। यदि इनका टोटल किया जावे

उपखण्ड अधिकारी
टोंक

तो सम्वत् 2011 से सम्वत् 2029–30 तक काश्त की थी। मै वर्तमान में ही जमीन बो रहा हूं पहले कभी काश्त नही की, गवाह यह कहता है कि वर्तमान में विवादित जमीन के आधे हिस्से को रामसहाय 30–40 वर्ष से काश्त करता आ रहा है जबकि वादी अपने बयानों में कहता है कि यह राजकीय सेवा में था व काश्तकारों से काश्त करवाता हूं। स्पष्ट रूप से कोई भी गवाह यह नही कहता है कि मै हरसहाय की जमीनों को काश्त करता हूं। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का कब्जा प्रतिवादी की जमीन पर सिद्ध नहीं है। इसलिये बिना कब्जे के अनुतोष के भी वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू–5 सीताराम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ यह गवाह एम.ए. तक पढ़ा लिखा है राजनितिज्ञ है फागी में सरपंच रहा है इस गवाह का जिरह में कहना है कि हम ग्राम पंचायत में नातान्तकरण खोलते है नामान्तकरण संख्या 327 के कॉलम संख्या 11 में रामसहाय पि0 मुतन्ना कल्याण लिखा हुआ है उक्त नामान्तकरण के निर्णय की कोई अपील हुई तो मेरी जानकारी में नहीं है । इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 328 में भी रामसहाय पि० मुतन्ना कल्याण लिखा है, इस नामान्तकरण की भी कोई अपील आज तक नहीं हुई है। रामसहाय व हरसहाय किन–किन खसरा नम्बरान पर काबिज है मैं नहीं कह सकता। दामोदर एवं कल्याण के खाते में दोनो के 38–38 बीघा जमीन थी जिसमें से 13 बीघा जमीन बख्शीश करके हरसहाय को दे दी थी परन्तु कल्याण द्वारा हरसहाय को बख्शीश करने का न दावे में उल्लेख है न शपथ पत्र में उल्लेख है न ही ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश हुआ है, न मौखिक साक्ष्य है। गवाह रामसहाय का भतीजा है इसलिये वादी से भी अधिक बढ़ चढ़कर बयान दे रहा है। इस प्रकार वादी का किसी भी प्रकार से कब्जा सिद्ध नहीं है, इसको प्रतिवादी ने भली भांति वादी के कथनों से सिद्ध किया है कि इसलिये तनकी नम्बर 5 वादी के विरूद्व व प्रतिवादी के पक्ष में तय की जावे ।

तनकी नं. 6 आया– वादी रामचन्द्र जी के पुत्र कल्याण उर्फ कलजी के गोद चला गया था गोद पुत्र होने से कल्याण जी की सम्पत्ति का मालिक बना, दामोदर की सम्पत्ति में वादी का कोई अधिकार नहीं है । इस तनकी को सिद्ध करने के लिये प्रतिवादी ने नामान्तकरण संख्या 327, 328 पेश किया है। जो प्रदर्श ए–1 व प्रदर्श ए–2 है जिनमें स्पष्ट रूप से कॉलम नं. 11, 14, 16 एवं पुस्त पर स्पष्ट रूप से यह अंकन है कि रामसहाय कल्याण पुत्र रामचन्द्र व्यास के मुतवन्ना जाहिन है । यहा यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि रामसहाय आज भी कल्याण की सम्पत्ति पर काबिज है इस तथ्य को वह स्वयं भी स्वीकार करता है कि वह कल्याण की सम्पत्ति पर काबिज है प्रतिवादी ने पैरा संख्या 2 जवाब दावा में इस तथ्य को स्पष्ट किया है यद्यपि वादी ने जवाबुल

उपखण्ड अधिकारी
फागी

जवाब पेश किया है जिसके पैरा संख्या 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वादी स्व. कल्याण जी उर्फ कलजी के बचपन में ही गोद चला गया था जिसके कारण वादी को कल्याण उर्फ कलजी की खातेदारी की आराजीयात गोदपुत्र होने के कारण प्राप्त हुई है, बल्कि सही तथ्य यह है कि कल्याण उर्फ कलजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वादी का नजदीकी खूनी रिश्ते के कारण प्राप्त हुई है इससे यह तो स्पष्ट है कि कल्याण की जमीन वादी को प्राप्त हुई है । परन्तु खुनी रिश्ता होने के कारण किसी को कोई जमीन प्राप्त नहीं होती । हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ना औलाद मरता है तो उसकी सम्पत्ति सभी भाईयों में समान रूप से वितरित होगी । प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में पक्षकारान की वंशावली प्रकट की है जिसमें कल्याण जी के अलावा बाहू जी, घीसा जी, श्री नारायण जी, जी व नृसिंह जी पुत्रान रामचन्द्र यह कुल 6 भाई थे, यदि कल्याण जीके रामसहाय जी को गोद नहीं गये तो कल्याण की सम्पत्ति शेष भाईयों में समान वितरित होगी, अकेले रामसहाय के कानूनन नहीं लग सकती । वादी ने जवाबुल जवाब में सत्यता एवं वास्तविकता के विपरित तथ्य लिखे है जहां तक सहगोत्रज का प्रश्न है तो एकही सगोत्र के लाखों व्यक्ति मिल जाते हैं परन्तु उन सबको किसी मृत व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं मिलती । वादी कल्याण की सम्पत्ति पर काबिज है उपयोग कर रहा है और वह दामोदर की भी सम्पतित को शातिराना तरीके से खाना चाहता है जिसका वह अधिकारी नहीं है । इस प्रकार तनकी नं. 6 के सम्बन्ध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा होना सिद्ध किया है इसलिये तनकी नम्बर 6 प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध तय की जावे ।

तनकी नम्बर–7 आया समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 में तहसीलदार/लैण्ड होल्डर को पक्षकार नहीं बनाया न पंजीबद्ध करवाया इसलिये वह कानूनन शून्य है । इस तनकी को सिद्ध करने के भार भी प्रतिवादी पर है सन् 2006 आर. बी. जे. पेज नं. 487 में यह निर्धारित किया है कि पारिवारिक समझौता का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में प्रावधान है कि अन रजिस्टर्ड पारिवारिक समझौता पत्र साक्ष्य में ग्राहय नहीं है सन् 2004 आर. बी. जे. 2074 आर. आर. डी. एवं उनके उच्च न्यायालय के निर्णयों में भी यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि ऐसे दस्तावेज प्रदर्श भी हो गये तो उनको न्यायालय अपने निर्णय में कन्सीडर नहीं करेगा । चूंकि समझौता दिनांक 24.12.1995 पैतृक सम्पत्ति का नहीं है, न ही सहखातेदारान के मध्य है इसलिये यह पारिवारिक समझौते की श्रेणी में नहीं आता है ज्यादा से ज्यादा यह एक एग्रीमेन्ट हो सकता है। 2004 आर. आर. डी. में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक एग्रीमेन्ट के आधार पर किसी प्रकार के कोई अधिकार स्थानान्तरित नहीं होते जब तक कि कोई

उपखण्ड अधिकारी
फागी

विक्रय पत्र या समझौता पंजीबद्ध नहीं होता इसलिये एग्रीमेन्ट के आधार पर वादी का वाद चलने योग्य नहीं है तनकी नं. 7 प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध तय की जावे ।

तनकी नं. 8 आया– वादी के गोद चले जाने के कारण वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है वाद कारण के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं है । इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है, वादी ने अपने वाद पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि वादी को उक्त दिवस को, उक्त कारण से वाद कारण उत्पन्न हुआ है उसने बिना कारण ही वाद प्रस्तुत किया है, प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में भी अतिरिक्त कथन में यह आपत्ति अंकित की है, यद्यपि प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया है परन्तु प्रतिवादी की आपत्ति का भी वादी ने न कोई जवाब दिया, कब, बार कारण उत्पन्न होने की विभिन्न कारण अंकित नहीं है, न ही इसे स्पष्ट किया, जवाबुल जवाब के पैरा संख्या 4 में वादी ने गलत तथ्य अंकित किया है कि वादी कल्याण जी के गोद नहीं गया बल्कि कल्याण जी के गोद जाने का तथ्य प्रदर्श ए–1 व प्रदर्श ए–2 में सिद्ध है व इस बात से भी सिद्ध है कि वादी कल्याण जी उर्फ कलजी के गोद गया है व उसकी जमीन पर आज भी काबिज है इस प्रकार तनकी नं. 8 को प्रतिवादी ने पूर्ण रूप से सिद्ध किया है कि वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ । इसलिये वाद कारण के अभाव में तनकी नं. 8 वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में तय की जावे । वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जाने योग्य है।

बहस मनन व तनकीवार विवेचन

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी द्वारा उक्त वाद में पुश्तैनी आराजी मे घोषणा चाही है। जिसके बाबत उक्त प्रकरण मे तनकीयात कायम की जा चुकी है तथा घोषणा से पूर्व तनकीयात का विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। तनकीयात का बिन्दुवार विनिश्चय किया गया। जो निम्नानुसार है।

1. आया वादी खतौनी संख्या 699 पैतृक आराजी ग्राम फागी के 1828, 1829, 1875/2, 2073, 2076, 2077, 2099, 2100, 2103, 2106, 2120/2, 3699, 3709, 3710, 3719 किता 17 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा जो प्रतिवादी का नाम दर्ज है उसमें 1/2 का हकदार वादी है वादी 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादी सकासमा समान रूप से कराने के अधिकारी है 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त है व खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
फागी

घोषणा सारी अपने एक में पुश्तैनी आराजीयात होने से कराने का अधिकारी है। :— तनकी सं0 1 को सिद्ध करने का भार वादी का दिया गया।

(अ) वादी द्वारा घोषणा मे चाही गई भूमि ख0न0 1828, 1829, 1875/2, 2073, 2076, 2077, 2099, 2100, 2102, 2103, 2106, 2120/2, 3699, 3706, 3710, 3719 का पर्चा नम्बर 362/1 व 362/2 सन् 1955 मे हरसहाय पुत्र दामोदर के नाम जारी हुआ था। चूकि जबाब प्रतिवादी एवं वादी की बहस के अनुसार हरसहाय पुत्र दामोदर व रामसहाय (वादी) दोनो भाई है एवं हरसहाय परिवार मे बडे है एवं पिता की मृत्यु सन् 1941 मे होने का दोनो ने कथंन किया है एवं जब दामोदर की मृत्यु हुई उस वक्त हरसहाय की उम्र 8 वर्ष एवं रामसहाय की उम्र 04 वर्ष थी।

(ब) प्रतिवादी द्वारा वादी को श्री कल्याण के गोद जाने मात्र से प्रतिवादी की भूमि मे से घोषणा का कोई अधिकार नही होने का कथनं किया किया है। परन्तु प्रतिवादी ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे साबित होता है कि श्री रामसहाय (वादी) श्री कल्याण के सन् 1961 मे गोद गये थे। ना ही रजिस्टर्ड गोदनामा बतौर साक्ष्य पेश किया है। मुताबिक प्रदर्श 1 श्री कल्याण के विरासत के नामान्तकरण सं0 327 में भी कल्याण पुत्र रामचन्द्र व्यास के उत्तराधिकारी रामसहाय पुत्र दामोदर व्यास (पुरोहित) है उक्त नामान्तकरण मे भी गोद पुत्र यावत कोई कथंन अंकित नही है।

(स) प्रदर्श 2 समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 में खातेदारी समझोता है। जो निम्नानुसार किया गया है। जिसमे प्रथम पक्ष वादी रामसहाय को व द्वितीय पक्ष प्रतिवादी भारतेन्दु को बनाया गया है। उक्त समझौता पत्र मे ख0न0 1875/1 में रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 2077 मे रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 1875/2 मे 01 बीघा, ख0न0 2642 मे रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, ख0न0 1829 रकबा 16 बिस्वा, ख0न0 3709 में रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 1821 मे रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 1833 मे 01 बीघा, ख0न0 1822 मे 01 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 1818 मे रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 1832 मे 01 बीघा, ख0न0 3707 मे 04 बिस्वा, ख0न0 1828 मे 01 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 1817 मे 13 बिस्वा, ख0न0 3719 मे 02 बिस्वा, ख0न0 2099 मे 02 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 2100 मे 02 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 2101 मे रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 2120/2 मे रकबा 07 बिस्वा, ख0न0 5712 मे रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 5709 में रकबा 09 बिस्वा, ख0न0 5706 मे रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा वादी के पक्ष मे रहना तय हुआ है तथा इसी प्रकार द्वितीय पक्ष प्रतिवादी भारतेन्दु को ख0न0 1875/1 मे रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 2073 मे रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 2076 मे रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 2639/1 मे रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 3710 मे रकबा 07 बिस्वा, ख0न0 1820 मे रकबा 16 बिस्वा, ख0न0

उपखण्ड अधिकारी
फागी

1819 मे रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, ख0न0 2699 मे रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 3713 मे रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, ख0न0 1826 मे रकबा 13 बिस्वा, ख0न0 1827 मे रकबा 12 बिस्वा, 3708 मे रकबा 02 बिस्वा, ख0न0 3706 मे रकबा 11 बिस्वा, ख0न0 2106 मे रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 2103 मे रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, ख0न0 2105 मे रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 2102 मे रकबा 01 बिस्वा, ख0न0 2120/1 मे रकबा 08 बिस्वा, ख0न0 5709 मे रकबा 02 बीघा, ख0न0 5706 मे रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, ख0न0 3707 मे रकबा 02 बिस्वा भूमि द्वितीय पक्ष प्रतिवादी भारतेन्दु के पक्ष मे रहना तय किया गया था। उक्त समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 एवं गवाहान के हस्ताक्षर अंकित है। प्रतिवादी ने इस समझौते को अपने जवाब एवं बहस मे छल कपट से किया जाना बताया है परन्तु प्रतिवादी के द्वारा उक्त समझौते के विरूद्व किसी भी न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया है ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

(द) मुताबिक प्रदर्श 6 पटवारी हल्का फागी तहसील फागी की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2007 अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादी 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है जिससे साबित होता है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादी का भी कब्जा काश्त है।

उपरोक्त अ, ब, स, द, तथ्यो के विवेचन अनुसार वादी अपनी तनकी सं0 1 को सिद्व करने मे पूर्णतया सफल रहे है। अतः तनकी सं0 1 प्रतिवादी के विरूद्व तथा वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी फागी

2. आया विवादग्रस्त आराजी अर्जी दावा पैरा संख्या 2 व 5 में वर्णित आराजी का तकासमा आपसी समझौते के व जो दिनांक 24.12.1995 के अनुसार अर्जी दावा पैरा संख्या 5 के अनुसार तकासमा किया जाकर वादी के हिस्से की फेटबंदी की आज्ञा पारित कराने का वादी अधिकारी है व मौजूदा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। :– तनकी सं0 2 को भी सिद्व करने का भार वादी को दिया गया।

(क) वादी द्वारा तनकी सं0 1 को सिद्व कर घोषणा करवाने के अधिकारी साबित हुये है मुताबिक (प्रदर्श 2) एक समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 पेश किया जिस पर वादी व प्रतिवादी दोनो के हस्ताक्षर है तथा उक्त समझौता पत्र मे वादी व प्रतिवादी ने अपनी सहमति से उक्त विवादग्रस्त आराजी को आपस मे बाट लिया। जिस पर वादी व प्रतिवादी एवं अन्य गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है। प्रतिवादी द्वारा किसी न्यायालय मे उक्त समझौता पत्र के विरूद्व वाद दायर किये जाने बाबत कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

(ख) मुताबिक प्रदर्श 6 पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादी 1/2 पर काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उक्त से स्पष्ट है कि वादी का उक्त विवादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी उक्त समझौता पत्र से पाबन्द है। वादी उक्त समझौता पत्र के अनुसार व वाद पत्र के पैरा सं0 6 के अनुसार तकसीम कराने का अधिकारी है। अतः तनकी सं0 2 को भी सिद्ध करने पर वादी पूर्णतया सफल रहे है। तनकी सं0 2 भी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

3. आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हिस्से मे सम्पूर्ण 2077, 1875/2, 1820, 1828, 3709, 2099, 2100, 2120/2, 3719 कुल किता 9 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा मे समझौता दिनांक 24.02.1995 अनुसार व वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार बाधा उत्पन्न करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। :– तनकी सं0 3 को भी सिद्ध करने का भार वादी को दिया गया। वादी द्वारा तनकी सं0 1 व 2 को अपने पक्ष मे सफल पूर्वक सिद्ध किया है। जिससे वादी को उक्त विवादित आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते है।

(क) पक्षकारान के मध्य पूर्व मे ही दिनांक 24.02.1995 को एक लिखावट हो चुकी है जिससे वादी व प्रतिवादी द्वारा आराजी को आपस मे बाँटकर काबिज काश्त चले आ रहे है। मुताबिक प्रदर्श 6 पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 29.08.2007 के अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्से पर वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। जो वादी द्वारा तनकी सं0 1 व 2 मे भी सिद्ध किया जा चुका है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत एक रिकोर्डेड खातेदार अपने पडौसी रिकार्डेड खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी रहता है। अतः तनकी सं0 3 भी वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

4. आया दिनांक 24.12.1995 के समझौता पत्र प्रतिवादी संख्या 1 से वादी ने धोखे से हस्ताक्षर करने के अनुसार भी वादी भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।:– तनकी सं0 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 1 को दिया गया।

(क) प्रतिवादी ने अपने जवाब व बहस मे बताया है कि उक्त समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 पर वादी द्वारा धोखे से हस्ताक्षर करवाये गये है। लेकिन प्रतिवादी द्वारा आज दिनांक तक उक्त समझौता पत्र पर करवाये गये धोखे से हस्ताक्षर के विरुद्ध किसी भी न्यायालय मे वाद दायर नही किया गया एवं ना ही उक्त समझौता पत्र को खारिज करवाया है। जब तक प्रतिवादी द्वारा उक्त समझौता पत्र को किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज नही करवा लिया जाता तब तक प्रतिवादी समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 से बाध्य है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत या साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया गया जिससे साबित हो की उक्त समझौता पत्र के अनुसार खातेदारी करवाने का

उपखण्ड अधिकारी
फागी

अधिकारी नही है। प्रतिवादी तनकी सं0 4 को सिद्व करने मे असफल रहे है। अतः तनकी सं0 4 प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

5. **आया वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 बिना कब्जा काश्त के आधार पर पेश किया है जो वादी का वाद बिना कब्जे की दादरसी के चलने योग्य नहीं है।** :– तनकी सं0 5 को भी सिद्व करने का भार प्रतिवादी सं0 1 को दिया गया।

(क) प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य सबुत प्रस्तुत नही किया गया जिससे साबित हो उक्त विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त नही है

(ख) अपितु वादी द्वारा प्रस्तुत मुताबिक प्रदर्श 6 पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 29.08.2007 के अनुसार व गवाहान नाथूलाल पुत्र कानाराम, नारायण पुत्र घासी, घासीलाल पुत्र गोरधन गुर्जर,सीताराम पारीक पुत्र पुरूषोतम पारीक के बयानात मे भी उक्त विवादित आराजी मे वादी का कब्जा काश्त साबित किया है।

तनकी सं0 5 को भी प्रतिवादी द्वारा साबित करने मे असफल रहे है। अतः तनकी सं0 5 भी प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

6. **आया वादी रामचन्द्र जी के पुत्र कल्याण जी के गोद चला गया था गोद पुत्र होने से कल्याण जी की सम्पत्ति का मालिक बना दामोदर जी की सम्पत्ति में वादी का कोई अधिकार नहीं है।** :– तनकी सं0 6 को भी सिद्व करने का भार प्रतिवादी को दिया गया। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे साबित हो की वादी रामसहाय पर्चा सैटलमेन्ट से पूर्व ही कल्याण जी के गोद चला गया हो। जबकि वादी के कल्याण की आराजी उत्तराधिकार के तहत प्राप्त हुई है मुताबिक प्रदर्श 1 नामान्तकरण सं0 327 पर सरपंच द्वारा टिप्पणी की गई है कि श्री कल्याण पुत्र रामचन्द्र व्यास के उत्तराधिकारी रामसहाय पुत्र दामोदर व्यास पुरोहित है तथा नामान्तकरण के कॉलम सं0 16 मे अंकन किया गया है कि कल्याणमल फोत हो चुका है और कल्याण मल की हस्तावगै रामसहाय के हुई है। उक्त के आधार पर ही रामसहाय जी को कल्याण जी के गोद जाना सर्वथा गलत है और प्रतिवादी द्वारा कोई अन्य प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमे अंकन हो की वादी रामसहाय कल्याण जी के पर्चा सैटलमेन्ट से पूर्व गोद चले गये हो। वादी के कल्याण जी की आराजी का नामान्तकरण सन् 1961 मे खुला है। ना ही कल्याण की विरासत मे कही वादी के दत्तक पुत्र का कोई अकंन नही है। प्रतिवादी द्वारा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा भी प्रस्तुत नही किया गया है। वादी द्वारा पूर्व मे ही तनकी सं0 1 व 2 को सफलता पूर्वक सिद्व कर उक्त विवादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी साबित किया है एवं अपना हक व अधिकार साबित किया गया है। अतः तनकी सं0 6 भी प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी कामां ● जिला भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
कामां

आया समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 मे तहसीलदार/लैण्डहोल्डर को पक्षकार नही बनाया व पंजीबद्ध नही है। इसलिये समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 कानूनन शून्य है। जिसके आधार पर वादी कोई अधिकार प्राप्त नही कर सकता। — तनकी सं0 7 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं0 1 को दिया गया। प्रतिवादी द्वारा कही भी ऐसा कोई तथ्य व कानून प्रस्तुत नही किया जिससे स्पष्ट हो की व्यक्तिगत रूप से आपस मे किये गये समझौता पत्र मे तहसीलदार/लैण्डहोल्डर को पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक हो एवं उक्त समझौता पत्र किसी भी पंजीयन कार्यालय से पंजीबद्ध हो। प्रतिवादी द्वारा आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय से उक्त समझौता पत्र को निरस्त नही करवाया है ना ही अपने जवाब व बयानात मे उक्त समझौता पत्र को कही भी मलत बताया है केवल उक्त समझौता पत्र पर अपने हस्ताक्षर धोखे से किये जाने का अंकन किया है। ना ही समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 के सम्बन्ध मे किसी न्यायालय मे वाद विचाराधीन होने का कोई सबुत प्रस्तुत नही किया गया है। अतः तनकी सं0 7 को भी प्रतिवादी सिद्ध करने मे पूर्णतया असफल रहे है। तनकी सं0 7 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त आराजी खतौनी सख्या 666 के खसरा नम्बर 1828, 1826, 1875/2, 2073, 2076, 2077, 2066, 2100, 2102, 2103, 2106, 2120/2, 3666, 3706, 3720, 3716 कित्ता 17 कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा मे अपना हक व अधिकार साबित किया है तथा प्रतिवादी समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 से बाध्य है। वादी द्वारा अपनी तनकीयात को पूर्ण रूप से सिद्ध किया है लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपनी तनकीयात को सिद्ध करने असफल रहे हैं उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से उक्त विवादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होना साबित होती प्रतिवादी के पिता कर्ताखानदान होने के कारण प्रतिवादी के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई थी। वादी उक्त विवादग्रस्त आराजी मे अपने 1/2 हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त भी चला आ रहा है। जिसमे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत वादी का भी हक व अधिकार निहित है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादी का डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सख्या 666 के खसरा नम्बर 1828, 1826, 1875/2, 2073, 2076, 2077, 2066, 2100, 2102, 2103, 2106, 2120/2, 3666, 3706, 3720, 3716 कित्ता 17 कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा भूमि फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात मे वादी को समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 के अनुसार 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 को

उपखण्ड अधिकारी
फागी

1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, ना अन्य से करावे। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

15/8/25
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा जिला जयपुर
उपखण्ड अधिकारी कोटा

नोट:- आदेश दिनांक 11.9.2025 के अनुसार खाता सं. 666 के स्थान पर 699 पढ़ा जावे एवं अन्य खसरा नम्बरान के साथ ख.नं. 2120/2 भी पढ़ा जावे।

रामसहाय बनाम भावतेन्दु वगैरह
मुकदमा – 67/2024
निर्णय दिनांक– 14.08.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलासा– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

रामसहाय पारीक पुत्र दामोदर प्रसाद जी पारीक निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

1. भावतेन्दु पारीक पुत्र हरसहाय पारीक निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर हाल मुकाम म0न0 380 टैम्पू स्टेण्ड चौराहा के पास बरकतनगर जयपुर टौंक फाटक जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

::– वाद घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 663/1999, 30/2008, 292/2016 पुराने, 67/2024 नये

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल बनाई रूबरू वकील वादी श्री बद्रीनारायण शर्मा हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री कृष्णकुमार जरोरा मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सख्या 666 के खसरा नम्बर 1828, 1829, 1875/2, 2073, 2076, 2077, 2099, 2100, 2102, 2103, 2106, 2120/1, 3699, 3709, 3710, 3719 किता 17 कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा भूमि फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात मे वादी को समझौता पत्र दिनांक 24.12.1995 के अनुसार 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, ना अन्य से करावे।

खर्चा इस मुकदमे के मिन्जा ...... मुवलिग ...... बाबत ...... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी मय सूद बशरह ...... फीसदी ...... सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...... पर अदा करे।

आज तारीख 14/08/2025 को जारी की गई।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/08/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फागी मुहर

14/8/25

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा फागी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजहं सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- आदेश दिनांक 11.9.2025 के अनुसार खाता सं. 666 के स्थान पर 699 पढ़ा जावें एवं अन्य खसरा नम्बरान के साथ ख. नं. 2120/2 भी पढ़ा जावें)

14/8/25

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी